असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

20 फरवरी, 2019

षोडश विधान सभा — बुधवार, तिथि 20 फरवरी,2019 ई0

द्वादश सत्र — 01 फाल्गुन,1940(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : प्रश्न काल चलने दीजिए न ।

श्री भाई वीरेन्द्र : हुजूर, मेरी बात सुन ली जाय ....

अध्यक्ष : क्या ?

श्री भाई वीरेन्द्र : नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने माननीय मुख्यमंत्री से तत्काल .....

अध्यक्ष : अभी तो कोई बात नहीं न है...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये हर दिन एक ही सवाल को उठाते रहते हैं और सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाहते हैं । ये चाहते हैं कि नियम से, नियमावली से सदन नहीं चले तो जब मर्जी है, महोदय, तो नियम से न हाऊस चलना चाहिए । जिस तरह से विधान सभा में जो अभी प्रश्न है, ध्यानाकर्षण है, तारांकित और अल्पसूचित प्रश्न हैं..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हम बार-बार कह रहे हैं कि सदन की कार्यवाही चलने दीजिए ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : इससे तो हर दिन हाऊस बाधित होता रहता है महोदय, यह अच्छी परम्परा नहीं है । इनको परम्परा का और नियम का निर्वहन करना चाहिए, विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को और जो मामला सदन में नहीं लाया जा सकता है, उसी मामले को ये बार-बार उठाना चाहते हैं ।

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : इतना सीरियस है विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता इतना सीरियस हैं तो इनको रहना चाहिए सदन में । सदन से बाहर क्यों रहते हैं ? ये सदन में आना मुनासिब नहीं समझते हैं और ये अखबार और टेलीविजन में जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग अगर नहीं चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले, माननीय सदस्यों के प्रश्न लिये जायं तो फिर आसन को मजबूरी हो जायेगी । जो मसला उठा रहे हैं, उसपर कई दिन, दो दिन से बात चल रही है और आसन भी अगवत है कि उसमें माननीय न्यायालय ने कुछ नहीं कहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही, नहीं चलने दीजियेगा ?

सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

....

टर्न-2/शंभु/20.02.19

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । माननीय प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

(व्यवधान)

आप बैठिए, आपकी विशेष सूचना लेंगे ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं जॉच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3(4) के तहत संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना (वर्ष-2002-06) में बरती गयी अनियमितता के फलस्वरूप सरकार को हुई वित्तीय क्षति के आकलन एवं जिम्मेवारी तय करने के लिए गठित न्यायिक जॉच आयोग का जॉच प्रतिवेदन तथा जॉच प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष : सभा-सचिव ।

सभा सचिव : महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-267 के अन्तर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 96 याचिकाएं प्राप्त हुई है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब गैर-सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

क्या है सत्यदेव जी ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, नील गायों के आतंक से किसान खेती करना छोड़ दिया है, विभिन्न तरह की कई तरह की फसलें वह बर्बाद कर देती है, जिससे किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सत्यदेव बाबू, इसपर तो पिछले कई सदनों से और सत्रों से बातें उठती रही हैं और सरकार ने स्पष्ट भी किया था कि कोई आदमी चाहे तो एस0डी0ओ0 से जो अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं उनसे इजाजत लेकर उनको मार भी सकते हैं और भगा भी सकते हैं । वह घोड़परास जाति का जानवर है तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं ? भगाना तो होगा....

श्री सत्यदेव राम : उसको धार्मिक भावना से जोड़कर देखा जा रहा है इसलिए सरकार ।

अध्यक्ष : श्री रत्नेश सादा, गैर-सरकारी संकल्प सं0-1 ।

गैर-सरकारी संकल्प

क्रमांक-1- श्री रत्नेश सादा

श्री रत्नेश सादा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के बसनही नदी में छः स्पैन का पुल का निर्माण करावे।''

श्री शैलश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत निर्मित बसनही से तारारही हाथीकरण होते हुए रमना पथ पर अवस्थित है । उक्त पुल के लिए चेकलिस्ट प्राप्त हुआ है । तकनीकी समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रत्नेश सादा : महोदय.....

अध्यक्ष : ठीक है, करा तो रहे हैं ।

श्री रत्नेश सादा : ठीक है, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-2-(श्री फराज फातमी)

(माननीय सदस्य श्री मो0 नेमतुल्लाह अधिकृत)

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी प्रखंड के माधोपट्टी सुन्दरपुर घाट के समीप खिरोई नदी पर उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के स्वीकृत रेखांकन पर नहीं है । पुल स्थल के दायें तरफ अवस्थित कलीगांव को पक्की सड़क से तथा बायें तरफ अवस्थित सुंदरपुर गांव को पी0एम0जी0एस0वाई0 निर्मित सड़क माधोपुर से सुंदरपुर तक से संपर्कता प्राप्त है । अतः पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, जब है ही नहीं तो वापस कैसे ले लेंगे ? आगे के लिए विचाराधीन रखिये ।

अध्यक्ष : ठीक है, वापस ले लीजिए ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : ठीक है, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-3(श्री आबिर्दुरहमान)

(माननीय सदस्य श्री मदन मोहन तिवारी अधिकृत)

श्री मदन मोहन तिवारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के अररिया प्रखंड के रामपुर मोहनपुर गांव में पनार नदी पर पुल का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल अररिया प्रखंड के रामपुर मोहनपुर गांव में पनार नदी पर पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत बांसवाड़ी से सदमा पैकेज सं0-बी.आर01आर0/234 नाम से पुल स्वीकृत है, जिसकी लंबाई 206.72 मी0 है । पुल निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी, निविदा नहीं प्राप्त होने के कारण पुनर्निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया में है । निविदा प्राप्ति उपरांत निविदा निष्पादन के फलस्वरूप निर्माण कराया जायेगा । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मदन मोहन तिवारी : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-4(श्री बशिष्ठ सिंह)

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड कोचस के पंचायत कुछिला एवं गारा के गांवों को कुछिला थाना के क्षेत्राधिकार में रखते हुए कैमूर जिला से रोहतास जिला में स्थानांतरण करावे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, प्रशासनिक इकाई के पुनर्गठन जिले के भीतर प्रखंड, अंचल एवं थाना की सीमाओं में सुधार और निकट के जिलों के साथ जिलों के सीमाओं में सुधार हेतु आवश्यक प्रस्ताव अनुशंसा तैयार कर प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से भेजने का अनुरोध मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी पुलिस अधीक्षक से किया गया है । राज्य में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन हेतु मंत्रियों का समूह माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एवं मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु सचिवों की समिति गठित है । सचिव की समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से पूर्ण और औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से समिति के सचिव के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निमित्त सभी जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है। अतः प्रस्ताव आने पर विचार किया जा सकता है । अतः अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, प्रस्ताव आ गया है, डी0एम0 से कल हमारी बात हुई थी उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव आ गया है तो समिति विचार करके कार्रवाई करेगी ।

श्री वशिष्ठ सिंह : सरकार से हमलोगों को उम्मीद है, आश्वासन मिल जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, वापस कर लीजिए ।

श्री वशिष्ठ सिंह : प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-5(श्री महबूब आलम)

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वित्त रहित डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को मानदेय के रूप में क्रमशः 50000 रूपये एवं 35000 रूपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था करे ।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, शिक्षा का बाद में दिलवा देंगे अभी गये हुए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, यह बहुत गंभीर मुद्दा है शिक्षा मंत्री क्यों नहीं उपस्थित हैं ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : होगा-होगा, आपके प्रस्ताव पर जवाब देने के लिये आयेंगे माननीय मंत्री।

क्रमांक-6(श्री अशोक कुमार सिंह)

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद से रफीगंज भाया भदवा पथ में ग्राम फेसरा के पास धावा नदी में पुल का निर्माण करावे ।''

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद से रफीगंज भाया भदवा पथ में ग्राम फेसरा के पास पूर्व से निर्मित 43 मी0 लंबा एवं 3.75 मी0 चौड़ा पुल वर्तमान में चालू स्थिति में है । इस पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण का तत्काल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अशोक कुमार सिंह : प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-7(श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह तिरहुत मुख्य नहर के जीरो आर0डी0 से 616 आर0डी0 तक लाइनिंग कार्य कराकर पानी की बर्बादी को रोके तथा पटवन सुविधा प्रदान करे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह,मंत्री : महोदय, गंडक नहर प्रणालियों को पूर्ण रूप से प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाये जाने के उद्देश्य से इनके आधुनिकीकरण के लिए योजना तैयार करने जिनमें नहरों के लाइनिंग कार्य भी सम्मिलित हों, की कार्रवाई करने हेतु मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग मोतिहारी को विभागीय पत्रांक-1393, दिनांक 28.09.2018 द्वारा निदेशित किया जा चुका है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : जी बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-8(श्री मुजाहिद आलम)

श्री मुहाहिद आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचाधामन में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डाक्टर को शीघ्र पदस्थापित/प्रतिनियुक्त करावे ।''

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य अभी उस सदन में व्यस्त हैं । आकर उत्तर देंगे ।

टर्न-3/ज्योति/20-02-2019

क्रमॉक -9 श्रीमती सावित्री देवी

श्रीमती सावित्री देवी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखंड के गोवरदहा नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा निर्मित पथ लोहसिंघना से हरिहरपुर पथ तथा दूसरी तरफ प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पथ वामदह से दोहना पथ है। इसतरह दोनों तरफ से बसावटों से उक्त पथों से सम्पर्कता प्राप्त हो रही है । उक्त पुल स्थल के डाउन स्ट्रीम में लगभग 3 कि.मी. पर कौज-वे अवस्थित है ।

अभिस्तावित पुल स्थल पर पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती सावित्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि जमुई जिलान्तर्गत ...

अध्यक्ष : इसमें जानना नहीं चाहती है आप , इसमें आप अपना मंतव्य दीजिये अगर सुझाव हो तो दीजिये ।

श्रीमती सावित्री देवी : पुल नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को आने जाने में को बहुत दिक्कत होती है ।

अध्यक्ष : इसलिए कहिये तो उसपर सरकार विचार करेगी, अभी अपना संकल्प वापस लीजिये ।

श्रीमती सावित्री देवी : ठीक है, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमॉक-10 श्री ललन पासवान</u>

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिलान्तर्गत एन0एच0-2 कर्मनाशा से नहर होते चांद प्रखंड से पतेरी से मॉ बखारी देवी होते जगदहवॉ डैम से मां मुण्डेश्वरी धाम तक स्टेट हाईवे का निर्माण शीघ्र करावे । ''

श्री नंदकिशोर यादव, मंत्री : महोदय, वर्तमान में नये राज्य उच्च पथ घोषित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । पहले से घोषित राज्य उच्च पथों का उन्नयन भी विभाग की प्राथमिकता में है इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : पहले से प्राथमिकता में है, आप फट से वापस ले लीजिये ।

श्री ललन पासवान : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी करकरगढ़ गए थे और ...

अध्यक्ष : इसीलिए न प्राथमिकता में है ।

श्री ललन पासवान : महोदय, सुन लीजिये थोड़ा सा ।

अध्यक्ष : ज्यादा सुनाईयेगा तो प्राथमिकता से उतर जायेगा ।

श्री ललन पासवान : नहीं, नहीं । सुन लीजिये महोदय । करकरगढ़ से मां मुंडेश्वरी से तारा चंडी धाम मंत्री जी स्टेट हाई वे की घोषणा कर चुके हैं उसकी फिजिब्लिटी रिपोर्ट वगैरह हो चुकी है और वहॉ से अगर हो जाय तो कर्मनाशा उत्तर प्रदेश के पहले से

हमलोगों का बीच का दो जिला पार कर जायेगा, बड़ी परेशानी होती है इसलिए इसको किया जाय ।

अध्यक्ष : वापस ले लिए न ?

श्री ललन पासवान : प्रस्ताव वापस ले लिए ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमाँक-11 श्री शकील अहमद खाँ

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खाँ -अनुपस्थित

क्रमाँक-12 श्री सुबोध राय

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज प्रखंड के गणगनिया पंचायत में किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु बेलहरणी नदी के मुहाने पर बीयर का निर्माण कराये ।

श्री दिनेश चंद्र यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज प्रखंड के गणगनिया पंचायत में बेलहरणी नदी के मुहाने पर बीयर निर्माण हेतु निरीक्षोपरान्त यह पाया गया कि उक्त क्षेत्र के कमाण्ड क्षेत्र में अवस्थित खेतों का नेचरल स्वायल लेवेल काफी ऊँचा है । नदी की पूरी ऊंचाई तक चेक डैम निर्माण करने से भी ग्रैभिटी फ्लो से पटवन संभव नहीं है तथा अप स्ट्रीम मे कोई वितरण प्रणाली भी नहीं है अतः प्रस्तावित स्थल पर बीयर का निर्माण तकनीकी दृष्टिकोण से संभव नहीं है इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, वहाँ सिंचाई की बहुत ही गंभीर समस्या है । इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है.....

अध्यक्ष : लेकिन वह तो कह रहे हैं कि जहाँ पटाना चाहते हैं उसका लेवेल ऊंचा है तो पानी जायेगा ही नहीं इसलिए बाकी चीज अलग से बात कर लीजियेगा अभी वापस कर लीजिये ।

श्री सुबोध राय : अभी प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमाँक-13 श्री कुमार सर्वजीत

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला अंतर्गत टनकुप्पा प्रखंड के टनकुप्पा रेलवे स्टेशन के उस पार आवागमन के लिए फ्लाई ओवर का निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, केन्द्र सरकार से सिफारिश करे । ''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : परिवहन मंत्री कौन्सिल में हैं ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

क्रमाँक-14 श्री मनोहर प्रसाद सिंह

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह अनुपस्थित हैं ।

क्रमाँक-15 श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत हिलसा नगर परिषद स्थित बिहारी रोड से उत्तर खाली पड़े सरकारी जमीन में टाउन हॉल का निर्माण करावे । ''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : मंत्री जी, कौन्सिल में हैं ।

क्रमाँक-16 श्री विनय बिहारी

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिलिान्तर्गत योगापट्टी प्रखंड स्थित मटकोटा तालाब के चारों तरफ घाटों का निर्माण एवं उसके सौन्दर्यीकरण का कार्य यथाशीघ्र करावे ।''

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण से प्रतिवेदन की मांग की गई है जो अभी अप्राप्त है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री विनय बिहारी : मैं अपना प्रस्ताव आपको धन्यवाद देते हुए वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमाँक -17 श्री लाल बाबू राम

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री लाल बाबू राम- अनुपस्थित ।

क्रमॉक -18 श्री मिथिलेश तिवारी

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी- अनुपस्थित ।

क्रमॉक-19 श्री प्रहलाद यादव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रहलाद यादव -अनुपस्थित ।

क्रमॉक-20 श्री सत्यदेव सिंह

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कुर्था विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड बंशी सूर्यपुर, जिला-अरवल के ग्राम-मोगलापुर के निजी जमीन जिसका खाता सं0-112, 117 प्लौट-607/2084 को मुआवजा देकर अधिग्रहित कर नहर एवं सड़क का निर्माण करावे । ''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अरवल जिलान्तर्गत भगवतीपुर वितरणी सोन उच्चस्तरीय मुख्य नहर के 64 कि.मी. से निःसृत है इसकी कुल लम्बाई 19.27 कि.मी. है जिसमें से 0 से 17.09 कि.मी. एवं 17.32 से 19.27 कि.मी. का निर्माण कार्य पूर्ण है परन्तु 17.09 से 17.32 कि.मी. तक प्रश्नगत जमीन का भू-अर्जन नहीं होने के कारण नहर निर्मित नहीं है । ग्राम बंशी सूर्यपुरा थाना संख्या 246 खाता संख्या 112,117 प्लौट 6072084 से 2.72 एकड़ भूमि का अधिग्रहण बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के तहत किए जाने के क्रम में भ-ूधारी की सहमति प्राप्त कर अधियाचना प्रस्ताव विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी बाढ़ सुरक्षा योजना, पटना को समर्पित किया गया है इस भूमि को लीज नीति के तहत प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉक 21 - डॉ0 अब्दुल गफूर

डॉ0 अब्दुल गफूर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह आम यात्रियों की असुविधाओं को देखते हुए दानापुर जं0 से सहरसा जं0 तक रेल की रात्रि सुविधा देने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्रस्ताव करे । ''

अध्यक्ष : परिवहन मंत्री तो उधर ही हैं ।

क्रमॉक–22 श्री श्याम रजक

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री श्याम रजक –अनुपस्थित ।

क्रमॉक–23 सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत कोलासी चौक से महेसवा चौक तक के 08 कि.मी. जर्जर सड़क का नये सिरे से निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित कोलासी से हरदा पथ लम्बाई 10 कि.मी. का पथांश है उक्त पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के तहत अग्रतर कार्रवाई की जायेगी । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगी।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : महोदय, प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–4/20–02–2019/बिपिन

क्रमांक–24 श्री प्रभुनाथ प्रसाद

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के चरपोखरी प्रखंड अंतर्गत मलौर पंचायत के ग्राम मलौर के पास बरसात के दिनों में बरसात का पानी जो बाहा में बर्बाद हो जाता है, को रोककर बरनी पुल के पास नहर में पानी गिरवाने की व्यवस्था करे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्रीः वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पाधीन योजना का डी.पी. आर. तैयार कर लिया गया है । डी.पी.आर. की तकनीकी जांच की जा रही है। आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 में निधि की उपलब्धता के आधार पर योजना के कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : धन्यवाद । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–25 श्री भोला यादव

श्री भोला यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर प्रखंड के गैघट्टी एवं कमलपुर के बीच कमलानदी पर चचरी पुल के स्थान पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण हेतु चेकलिस्ट की मांग की गई थी जो प्राप्त हो गया । चेकलिस्ट की तकनीकी समीक्षा की जा रही है । तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री भोला यादव : धन्यवाद । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–26 श्री नौशाद आलम

श्री नौशाद आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला के दिघलबैंक प्रखंड में जी.टी.एस.एन.वाई. योजना के तहत हरवाडंगा से पीलटोली तक निर्माणाधीन सड़क को विस्तारित करते हुए सतकौआ से जोड़े ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तस्थिति है कि अभिस्तावित सतकौआ बसावट को दूसरे पथ जो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत 3.04 टप्पू से डोगरी रजा के नाम से प्रस्तावित है के निर्माण से संपर्कता प्राप्त हो जाएगी । उक्त पथ का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है । तत्पश्चात् अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री भोला यादव : आश्वासन के आलोक में मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–27 श्री जितेन्द्र कुमार

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के सभी छोटी–बड़ी नदियों से बालू के अवैध खनन कार्य की जॉच कराकर कार्रवाई सुनिश्चित करावे ।''

श्री विनोद कुमार सिंह, मंत्री: महोदय, नालंदा जिला के सभी छोटी-बड़ी नदियों से बालू के अवैध खनन से संबंधित मामले की जांच हेतु त्रिसदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है । समिति को पांच दिनों के अंदर सभी पहलुओं की जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, जिला खनन पदाधिकारी का जो अवैध खनन करते हैं उनसे मिलीभगत है । तो उनका कार्यकलाप बहुत ही संदिग्ध है ...

अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि तीन सदस्यीय समिति बना दी गयी है और पांच दिन के अंदर उससे कहा गया है रिपोर्ट देने के लिए । उसको सहयोग कर दीजिए और अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री जितेन्द्र कुमार : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-28 श्री मुद्रिका प्रसाद राय

श्री मुद्रिका प्रसाद राय: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर प्रखंड स्थित ग्राम-केरवॉ में डबरा नदी पर सिंचाई हेतु डैम का निर्माण करावे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि डबरा नदी गोपालगंज जिलान्तर्गत विभिन्न चॅवरों से निकलती है जो गोपालगंज होते हुए सारण जिला के शीतलपुर गांव के पास गंगा नदी में मिल जाती है । यह एक बरसाती नदी है । सारण जिलान्तर्गत इशुआपुर प्रखंड में स्थित ग्राम केरवां के आसपास का क्षेत्र जो सलेमपुर वितरणी के अंतिम छोर से लगभग 15 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित है, नहर के कमांड क्षेत्र से बाहर है । प्रश्नगत् स्थल पर चेकडैम के निर्माण के संबंध में संभाव्यता तलाशने हेतु विभागीय पत्रांक 209 दिनांक 15 फरबरी, 2019 द्वारा मुख्य अभियंता, सिंचाई (सृजन) सीवान को निर्देशित किया गया है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री मुद्रिका प्रसाद राय:मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-29 श्री राजेश कुमार

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा प्रखंड अंतर्गत कुटुम्बा में अवर विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल की स्थापना करावे।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत कुटुम्बा प्रखंड में विद्युत आपूर्त्ति प्रशाखा विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल, नवीनगर के अंतर्गत कार्यरत है । कुटुम्बा प्रखंड के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 19,856 है । कुटुम्बा प्रखंड के अंतर्गत विद्युत संबंधी कार्यों का निष्पादन विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल नवीनगर से किया जाता है जिसकी दूरी कुटुम्बा प्रखंड से 18 कि.मी. है । अत: उपभोक्ताओं की संख्या एवं भौगोलिक आधार को दृष्टिगत् रखते हुए कुटुम्बा प्रखंड में विद्युत्त आपूर्त्ति अवर प्रमंडल का सृजन किया जाना उचित नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, नवीनगर का दूरी बहुत ज्यादा है और उपभोक्ताओं की जो छोटी-छोटी समस्याएं हैं, उसको लेकर नवीनगर जाना पड़ता है । जैसे, एक्सेस बिल आता है तो वह सारा सुधार वहां से होता है तो ...

अध्यक्ष : अतिरिक्त सूचनाएं माननीय मंत्री जी को अलग से देकर इनको कंभिंस करिएगा । अभी प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री राजेश कुमार : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-30 श्री जय वर्धन यादव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जय वर्धन यादव अनुपस्थित ।

क्रमांक-31 श्री अजीत शर्मा

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जहॉ हवाईपट्टी है, को वायुमार्ग से शीघ्र जोड़वाने की व्यवस्था करे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, भागलपुर हवाई अडडा बिहार सरकार के अधीन आवश्यतानुसार ऑपरेशनल हवाई अड्डा है । उक्त हवाई पट्टी की लंबाई 3200फीट है जो व्यवसायिक उड़ान के लिए अपर्याप्त है । किसी भी हवाई अड्डा से व्यवसायिक हवाई सेवा प्रारंभ करने का निर्णय नगर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय विमान पत्तनन प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है । रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत

राज्य सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक 268 दिनांक 3.11.2017 के द्वारा 9.20 मीटर विमान से पटना–भागलपुर, देवघर–भागलपुर–पटना एवं पटना–मुजफ्फरपुर, भागलपुर–देवघर–पटना को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए निमित्त वायुमार्ग को चिंहित किया गया तथा इस मार्ग पर आर.सी.एस. उड्डयन के अंतर्गत बिडिंग हेतु सभी नॉन शेडयुल ऑपरेशनल एजेंसी से अनुरोध किया गया । विभागीय पत्रांक 267 दिनांक 03.11.2017 के द्वारा उक्त आशय का अनुरोध नगर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से भी किया गया । तीसरे राउंड की बिडिंग तक किसी भी नॉन शेडयूल ऑपरेशनल एजेंसी के द्वारा उक्त मार्ग पर बिडिंग नहीं किया गया । रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत नॉन शेडयुल ऑपरेशनल एजेंसी मार्ग का चयन करते हैं । किसी भी नॉन शेडयूल ऑपरेशनल एजेंसी चयन किए जाने पर ही उक्त हवाई अडडा को वायुमार्ग से जोड़ना संभव होगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पूरा विस्तार से बताया है लेकिन उनको जानकारी दे दें कि पहले भी यह हवाई सेवा, दो दशक पहले चला करता था और दूसरा कि सिल्क व्यवसाय जो वहां है, उसके कारण विश्व में भागलपुर को जाना जाता है जिससे वह सिल्क व्यवसाय खतम हो रहा है । मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से ...

अध्यक्ष : अजीत शर्मा जी, अभी तो दो ही उपाय हैं – या तो इसको वापस ले लीजिए या एक जहाज खरीद कर आप चलाने के लिए बिड कर दीजिए ।

श्री अजीत शर्मा : ऐसा नहीं है महोदय, सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए । इसके साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न: 05/कृष्ण/20.02.2019

क्रमांक–32 श्री नरेन्द्र नारायण यादव

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला मधेपुरा अंतर्गत प्रखंड चौसा के अधीन चयनित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदा, ग्राम पंचायत पैना के भवन का निर्माण शीघ्र करावे ।"

अध्यक्ष : स्वास्थ्य विभाग है । उत्तर, माननीय मंत्री आयेंगे तब होगा ।

क्रमांक–33 श्री संजय सरावगी

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में बागमती नदी पर क्षतिग्रस्त महराजजी पुल के स्थान पर नगर विकास विभाग नये पुल का निर्माण करावे । "

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बागमती नदी पर क्षतिग्रस्त महराजजी जी का निर्माण वर्ष 1949 में अठलर बटलर कंपनी द्वारा कराया गया था । पुल की लंबाई लगभग 255 फीट और चौड़ाई लगभग 13 फीट है । चूंकि यह नदी पर अवस्थित एक बड़ा पुल है । इसलिए इसका प्राक्कलन किसी विशेष एजेंसी से बनाये जाने का अनुरोध नगर निगम, दरभंगा द्वारा किया गया है ।

उक्त अनुरोध के आलोक में विभागीय पत्रांक 6136 दिनांक 28.11.2018 द्वारा उक्त पुल का प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का अनुरोध बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 से किया गया है । पुल निर्माण का कार्य पथ निमाण विभाग द्वारा करवाये जाने का अनुरोध विभाग द्वारा किया जायेगा क्योंकि बड़े पुल का निर्माण नगर विकास विभाग द्वारा नहीं किया जाता है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं धन्यवाद भी देता हूं । माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक रूख अपनाया है । उन्होंने कहा है कि नगर निगम से यथाशीघ्र प्राक्कलन बनवा कर पुल निर्माण निगम से इसे बनाया जायेगा । आशा करता हूं कि जल्द ही यह बन जायेगा । इसी के साथ में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) ने आसन ग्रहण किया)

क्रमांक–34 श्री नारायण प्रसाद

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया शहर से सटे हुए सनसरैया तिरहुत नगर केनाल के पास विद्युत शवदाह गृह का निर्माण करावे । "

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : सभापति महोदय, यह नगर विकास विभाग से स्थानान्तरित हो कर मेरे यहां आया है ।

सभापति महोदय, अंचल कार्यालय,नौतन के प्रतिवेदन के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी नौतन, पश्चिम चम्पारण ने अपने पत्रांक 376 दिनांक 18.02.2019 से प्रतिवेदित किया है कि मौजा सनसरैया थाना संख्या 184 के अन्तर्गत तिरहुत नगर गुजरती है । वर्तमान समय में इस नगर के पास कोई विद्युत शवदाह गृह स्थापित नहीं है ।

उपर्युक्त मौजा में श्मशान के लिये कोई चिन्हित भूमि नहीं है । तिरहुत नहर कैनाल की अधिगृहित की गयी भूमि है । सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् विद्युत शवदाह गृह स्थापित करने की अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकती है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री नारायण प्रसाद : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मंगाया जाय । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–35 श्री गिरधारी यादव

श्री गिरधारी यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य की खटिक जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु कार्रवाई करे । "

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : सभापति महोदय, खटिक जाति बिहार राज्य हेतु अति पिछड़ा अधिसूचित पिछड़े वर्ग की अनुसूची–1 में क्रमांक 17 पर सूचीबद्ध है । इस जाति के सदस्य राज्याधीन सेवाओं में अतिपिछड़े वर्ग के लिये 18 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा का उपयोग कर रहे हैं । इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव संप्रति विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री गिरधारी यादव : महोदय मैं बताना चाहता हूं कि खटिक जाति ऐसी जाति है, जो पूरे देश में अनुसूचित जाति है । सिर्फ बिहार में ही पिछड़ी जाति की अनुसूची –1 में है । इसलिये हम अनुरोध करेंगे कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जाय कि जब पूरे देश में खटिक जाति अनुसूचित जाति है तो बिहार में भी अनुसूचित जाति में शामिल हो । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–36 श्री श्याम बाबू प्रसाद

श्री श्याम बाबू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चकिया प्रखंड के धनौती नदी के खैरी घाट पर पुल का निर्माण करावे । "

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित स्थल ग्रामीण कार्य विभाग की स्वीकृत कोर नेटवर्क के मार्गरेखन पर नहीं है । खैरी घाट के पास नदी की चौड़ाई लगभग 130 मीटर है । चकिया प्रखंड के जमुनिया पंचायत में जी0टी0एस0एन0एल0वाई0 लक्षमण मांझी के घर से पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड खैरी माल तक पथ निर्माणाधीन है । इस पथ के चेन एच0 1360 मीटर से कच्ची पथ से खैरी घाट की ओर जाती है जहां कोई आबादी नहीं है । नदी के अपस्ट्रीम में लगभग 4.0 कि0मी0 की दूरी पर पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत पुल निर्माणाधीन है । अभिस्ताव स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराणीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वह पक्की रोड है, उसके जस्ट बगल में थोड़ा–सा कच्ची रोड बचा हुआ है, उस पर पुल है। हम आग्रह करेंगे कि उस पुल को प्रस्ताव में रखा जाय, हम बनवाने का अनुरोध करते हैं । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–37 श्री सैयद अबु दौजाना

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री शमीम अहमद प्राधिकृत है।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अंतर्गत कर्पुरी चौक से सिंगियाही गांव होते हुए केशपुरा घाट तक (लम्बाई 04 कि0मी0) की जर्जर सड़क का नये सिरे से निर्माण कार्य करावे । "

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : सभापति महोदय, अभिस्तावित पथ दो पथों से संबंधित है । कर्पुरी चौक से सिंगियाही पथ कर्पुरी चौक एस0एच0–52 पर अवस्थित है । सिंहियाही गांव को पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ झझियठ से सिंहियाही पथ से संपर्कता प्राप्त है ।

उक्त पथ की लंबाई 2.0 कि0मी0 है जो किसी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है । कर्पुरी चौक से सिंहियाही के बीच कोई अन्य योग्य बसावट नहीं है । संप्रति पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । सिंहियाही से केशपूरा घाट पथ । इस पथ की लंबाई 1.50 कि0मी0 है, जो आंशिक रूप से इंटीकृत है । पथ किसी भी कोर नेटवर्क में

सम्मिलित नहीं है । केशपूरा घाट बसावट की आबादी लगभग 600 से अधिक है । उक्त बसावट की अर्हता की जांच की जा रही है । तत्पश्चात् अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि कृपया अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री मो0 शमीम अहमद : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-38 श्री अख्तरूल ईस्लाम शाहीन

श्री अख्तरूल ईस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला मुख्यालय जितवारपुर में अवस्थित आवास बोर्ड द्वारा हस्तांतरण की स्वीकृति प्राप्त भूमि पर अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना एवं भवनों के निर्माण कार्य शीघ्र करावे । "

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु समाहर्त्ता,समस्तीपुर द्वारा जिलान्तर्गत अंचल सरायरंजन मौजा रामनगर नरगोबी भूमि रमजान ठाकुरबाड़ी नरगोबी की 10 एकड़ जमीन चिन्हित की गयी है । विभागीय पत्रांक विधायी 9/19-618 दिनांक 15.02.2019 द्वारा समाहर्त्ता, समस्तीपुर अपेक्षित भूमि विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । उक्त भूमि के हस्तांतरित होने के उपरांत अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना एवं भवनों के निर्माण कार्य किया जा सकेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

टर्न-6/अंजनी/दि0 20.02.19

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : सभापति महोदय, मेरा सवाल हाउसिंग बोर्ड का था । सरकार ने हाउसिंग बोर्ड से प्रस्ताव भी मांगा था । जिला मुख्यालय ने प्रस्ताव भी भेज दिया था, विभाग ने सहमति भी दे दी थी और राशि की मांग भी की गयी थी । मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक दरभंगा में हुई थी, मुख्यमंत्री जी का आदेश भी हुआ था । प्रधान सचिव ने कहा था कि हाउसिंग बोर्ड जो एमाउंट कहेगा, वह एमाउंट दे देंगे । माननीय मंत्री जी, दूसरे जमीन का जवाब दे रहे हैं । दूसरे प्रखंड, कहीं देहात के बारे में बता रहे हैं जबकि जिला मुख्यालय में जमीन उपलब्ध है । जवाब हाउसिंग बोर्ड पर न देंगे । हाउसिंग बोर्ड से पहले जवाब दिला दीजिए ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय मंत्री जी इसको देख लेंगे । आप प्रस्ताव को वापस ले लीजिए ।

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, रिपोर्ट जिलाधिकारी से मंगाया जाता है तो जिला पदाधिकारी से रिपोर्ट जिस पत्रांक से आया है, उसको हमलोग करा रहे हैं और बनायेंगे । उद्देश्य है कि समस्तीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना, इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन: महोदय, विभाग इसको फिर से देखवा ले । जिला मुख्यालय में जमीन उपलब्ध है, प्रस्ताव दिया हुआ है, फिर से देखवा लें ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : प्रस्ताव मंगाकर देख लीजिए, अभी तत्काल आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-39, श्री सुनील कुमार</u>

श्री सुनील कुमार : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत उच्च विद्यालय बलुआ एवं मेथौडा घाड स्थित लखनदेई नदी पर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।"

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : सभापति महोदय, अभिस्तावित दोनों पुल स्थल पर चचरी पुल की जगह आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु विभाग द्वारा प्रतिवेदन की मांग की थी, जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, प्रतिवेदन की तकनीकी समीक्षा की जा रही है, तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा की जाय ।

श्री सुनील कुमार : महोदय, दोनों बड़ा महत्वपूर्ण जगह है । वहां चचरी पुल सालों भर रहता है और दोनों तरफ से लोगों को चचरी पुल से ही सालों भर आना-जाना पड़ता है, इसलिए माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-40, श्री अशोक कुमार सिंह</u>

श्री अशोक कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत भारती महाविद्यालय में स्नाकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करावे ।"

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अभी माननीय मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए इसको बाद में लिया जायेगा ।

क्रमांक-41, डा0 रामानुज प्रसाद

डा0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के सोनपुर प्रखंडान्तर्गत सबलपुर पश्चिमी पंचायत के कुमारघाट से अंटाघाट, पटना के बीच गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण करावे ।"

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, गंगा नदी पर पुल बनाना है तो गंगा नदी पर कितना पुल बनाइयेगा । आप जानते हैं कि गंगा नदी में वर्त्तमान गांधी सेतु से पहले एक नया फोर लेन पुल बन रहा है, अभी जो सोनपुर-दीघा के बीच में पुल है, उसके पहले एक और नया फोर लेन पुल राज्य सरकार अपने पैसे से बनायेगी । आप यह भी जानते हैं कि दीघवारा से शेरपुर के बीच में गंगा नदी पर नया पुल तैयार हुआ है । आखिर गंगा नदी पर पुलों की संख्या कितनी होगी ? अभी तत्काल में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और यह व्यावहारिक भी नहीं है । इसलिए मेरा व्यक्तिगत आग्रह होगा कि कृपया आप अपने संकल्प को वापस ले लें ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : आप संकल्प को वापस ले लीजिए ।

डा0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, मुझे कुछ कहना है । माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि व्यावहारिक नहीं है । बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, आज पटना के लोग सोनपुर में जमीन खरीदकर लोग बस रहे हैं । बढ़ता हुआ पटना सोनपुर हो रहा है तो इसको देखते हुए अंटाघाट में हमारे लोग आकर न सिर्फ सब्जी और दूध का व्यापार करते हैं, बल्कि पटना को दूध और सब्जी खिलाते हैं बल्कि पूरा व्यापारिक इससे जुड़ जायेगा और राज्य के इकोनॉमी पर उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा, लोगों को कम्युनिकेशन तो मिलेंगे ही । इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि इसपर विचार किया जाय । गंगा सेतु, जे0पी0 सेतु के बावजूद जो जनसंख्या का अधिभार है, उसको देखते हुए अगर यह कराया जाता है तो मैं समझता हूँ कि इसका फलाफल अच्छा रहेगा ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लीजिए ।

डा0 रामानुज प्रसाद : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-42, श्री मो0 नवाज आलम

श्री मो0 नवाज आलम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के आरा शहर का मुख्य पथ शीशमहल चौक से रमगढ़िया, वलीगंज होते हुए धरहारा तक की जीर्णशीर्ण पथ का शीघ्र मरम्मती करावे ।"

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दायित्वरहित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है । अभी पथ के अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, पथ के अधिग्रहण के बाद हम उसपर अग्रतर कार्रवाई करेंगे । अभी यह अधिग्रहण की प्रक्रिया में है ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-43, श्री भाई वीरेन्द्र

श्री भाई वीरेन्द्र : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला स्थित वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनेर एवं बिहटा दोनों प्रखंडों को सुखाड़ग्रस्त घोषित करावे ।"

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, अल्पवृष्टि के कारण राज्य में सुखाड़ की स्थिति होने के फलस्वरूप कृषि विभाग के पत्रांक 5106 दिनांक 11.10.2018 एवं 5239 दिनांक 24.10.2018 के द्वारा राज्य के सभी जिलों में पदाधिकारियों के दल का गठन कर अल्पवृष्टि वाले प्रखंडों के अतिरिक्त अन्य प्रखंडों का क्षेत्र भ्रमण कर कृषि विभाग द्वारा निर्धारित तीन मापदंड यथा-

1-खेती किये गये जमीन में दरार की स्थिति,

2-फसलों में बेलट्रिंग का प्रभाव एवं

3-रोपे गये फसल की उत्पादकता में 33 परसेंट या अधिक की कमी की संभावनाओं को प्रतिबिम्बित करने का निदेश दिया गया था । संबंधित पदाधिकारियों के प्रतिवेदन एवं उपरोक्त वर्णित तीनों मापदंडों में से किसी एक के 'हां' होने की स्थिति में कृषि विभाग की अनुशंसा के उपरांत आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2110, 1518 दिनांक 3048 दिनांक 3.11.18, पत्रांक 212 दिनांक 22.1.19 एवं पत्रांक 418 दिनांक 6.2.19 के द्वारा राज्य के 25 जिलों के कुल 280 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है, जिसमें पटना जिलान्तर्गत विक्रम, धनरूआ, दनियांवा, दुल्हिन बाजार, मसौढ़ी, नौबतपुर, पालीगंज,

फुलवारीशरीफ, खुसरूपुर, फतुहा एवं पुनपुन को निर्धारित मापदंड के अनुरूप रहने के कारण सूखाग्रस्त अधिसूचित किया गया है ।

जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निदेशित कर पुनः दिनांक 19.12.18 को बिहटा एवं मनेर प्रखंड का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के क्रम में किये गये फसल कटने तथा संबंधित प्रखंडों के कृषि समन्वयकों द्वारा उपलब्ध कराये गये फसल कटनी प्रतिवेदनों में धान का फसल एवं उत्पादकता के साथ रबी फसल की स्थिति भी संतोषजनक पाया गया है, अतः माननीय सदस्य से मेरा आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : सभापति महोदय, हम उस इलाके से आते हैं, मनेर और बिहटा दो प्रखंड मिलाकर एक विधान सभा क्षेत्र है और 6 पंचायत हमारा दियारा में है जो गंगा और सोन से प्रभावित है और जो शेष पंचायत है, वह सुखाड़ है । पता नहीं किन पदाधिकारियों से ये लोग रिपोर्ट मंगाते हैं, बगल में नहर का इलाका है, जहां पानी है सिंचाई का, हमारे यहां तो नहर की भी व्यवस्था नहीं है । चूंकि भाई वीरेन्द्र का क्षेत्र है, इसलिए उसको सूखाड़ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया और नालंदा में हम गये थे दौरा में तो देखा कि लहलहाती हुई फसल है और वहां उसको सूखाड़ग्रस्त घोषित किया गया तो कहीं-न-कहीं सरकार की मंशा है कि जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, उनका सुखाड़ग्रस्त न हों और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं.....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : भाई वीरेन्द्र जी, आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लीजिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आप इसपर विचार कीजिए, सरकार विचार करे, मनेर और बिहटा को सुखाड़ग्रस्त घोषित कीजिए । आप अपने से दौरा कीजिए, आपके पदाधिकारी गलत बयानी कर रहे हैं, गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से दौरा करके उस क्षेत्र को सूखाड़ग्रस्त घोषित कीजिए ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, कोई पक्षपात नहीं हुआ है । निष्पक्ष तरीके से सरकार राज्य के 38 जिलों को, हमने तीन मापदंड रखा था और जो उस मापदंड पर खड़ा उतरा, उसको किया गया है । आपको गलतफहमी हो गयी है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपने संकल्प को वापस ले लें ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : इसको वापस ले लीजिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : फुलवारी हो गया, मनेर नहीं हुआ, बिहटा नहीं हुआ, मंत्री जी, आप दौरा कीजिए और इसपर विचार कीजिए, यही मैं आपसे आग्रह करते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–7/राजेश/20.2.19

क्रमांक–44 (श्री जिवेश कुमार)

श्री जिवेश कुमार: सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है:

''कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत जाले प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाले को जाले से अलग कर एस0एच0–52 स्थित घोगराहा बाजार स्थित ए0पी0एच0सी0 में चलाने की व्यवस्था करें'' ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा प्रखंड मुख्यालय में ही दिये जाने का प्रावधान है, जिसमें अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के समतुल्य 6 बेड की सुविधा दी जाती है । प्रखंड मुख्यालय अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाले को एस0एच0 52 स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोगराहा बाजार में स्थानान्तरित किये जाने की कोई योजना नहीं है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री जिवेश कुमार: महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि रेफरल अस्पताल और पी0एच0सी0 एक साथ चल रहा है और वहाँ डाक्टर जो हैं रेफरल और पी0एच0सी0 के अपनी–अपनी पाली मिलाकर तीन दिन मौज करते हैं यानि तीन दिन काम करते हैं रेफरल वाले और तीन दिन काम करते हैं पी0एच0सी0 वाले, चूंकि एक ही बिल्डिंग में दोनों अस्पताल चल रहा है और जहाँ डाक्टर नहीं है, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि पी0एच0सी0 को अलग करके उनके डाक्टर को कम से कम प्रतिनियुक्त कर दें ए0पी0एच0सी0 में, यह तो हो सकता है, पी0एच0सी0 साथ चलें, केवल डाक्टर निकालकर उसको ए0पी0एच0सी0 में प्रतिनियुक्त कर दें, तो ए0पी0एच0सी0 भी चालू हो जायेगा ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): आप अपना प्रस्ताव तो वापस ले लें ।

श्री जिवेश कुमार: महोदय, मैं अपनी बात को रखते हुए अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक: 45 (श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में कृषक सम्वर्द्धन वित्त निगम की स्थापना कर किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करावें'' ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री: महोदय राज्य के किसानों को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंको से तीन लाख रुपये तक के फसल ऋण, के0सी0सी0 ऋण, अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर समय पर ऋण की अदायगी करने वाले कृषकों को भारत सरकार द्वारा तीन परसेंट तथा राज्य सरकार द्वारा एक परसेंट की दर से ब्याज अनुदान उपलब्ध है । जहॉ तक राज्य में कृषक संवर्द्धन वित्त निगम की स्थापना कर किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रश्न है, यह अभी विचाराधीन नहीं है । अत: मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने उनसे यह भी अनुरोध किया कि जो अपना स्टेट है बिहार इसमें जो है करीब 89 प्रतिशत लोग गॉवों में रहते हैं और कृषि पर निर्भर है और पहले कृषि विभाग में जो एग्रो बेस इन्डस्ट्रीज हुआ करती थी, उसके लिए एग्रो कॉरपोरेशन भी हुआ करता था, मगर वह भी अब डिफंक्ट हो गया, खत्म हो गया, तो मेरा सिर्फ ब्याज मुक्त ऋण मुहैया कराने का ही नहीं है, कृषि के व्यापक प्रबंधन के लिए क्या सरकार कोई विचार रखती है कॉरपोरेशन बनाने का जो पहले था ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री: महोदय, अभी तो इसकी आवश्यकता नहीं है और मैंने साफ-साफ कहा है, जहॉ तक राज्य में कृषि सम्वर्द्धन स्थापना कर किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही है महोदय, तो अभी कोई ऐसा विचार नहीं है, इसलिए मेरा आग्रह है माननीय सदस्य से कि वे अपना प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, मैं इस अपेक्षा के साथ वापस ले रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि अभी नहीं है आगे हो सकता है, तो इसलिए हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): सदन की सहमति से मा0 सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक: 46, श्री राम बालक सिंह

श्री राम बालक सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंडान्तर्गत बूढ़ी गंडक नदी के दायां तटबंध अंगार घाट से बोरिया ढ़ाला तक के बीच बॉध पर पक्की सड़क निर्माण कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करावे ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय,वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत के विभूतिपुर प्रखंडन्तर्गत बूढ़ी गंडक नदी के दायां तटबंध अंगार घाट से बोरिया ढाला तक के बीच तटबंध की लंबाई 20 किलोमीटर है । तटबंध के इस भाग में अंगार घाट से सिंधिया घाट तक तटबंध के समानान्तर पक्की सड़क निर्मित है । सिंधिया घाट से बोरिया ढ़ाला तक तटबंध के शीर्ष पर बीक सोलिंग का कार्य किया हुआ है । उल्लेखनीय है

कि तटबंध पर निर्मित सेवा पथ का उपयोग तटबंध के निरीक्षण एवं बाढ़ अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्री की ढुलाई के लिए किया जाता है । पथ निर्माण से संबंधित विभाग द्वारा तटबंध के उक्त भाग में शीर्ष पर पथ निर्माण हेतु यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है तो जल संसाधन विभाग उपलब्ध करा देगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राम बालक सिंहः सभापति महोदय, सरकार का संकल्प है कि हर बसावट को पक्की सड़क से जोड़ना है और बॉध के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, तो जब तक पक्की सड़क नहीं बनता है तो बॉध के किनारे के लोगों को पक्की सड़क कैसे मिलेगा । इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि माननीय मंत्री जी इसको देखेंगे । इसी उम्मीद से मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद)ः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 47 (श्री नीरज कुमार सिंह)

श्री नीरज कुमार सिंहः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला में कोसी महासेतु पर बने पुल का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से करावे ।

श्री नंदकिशोर यादव, मंत्रीः महोदय, कोसी महासेतू पर बना पुल एन0एच0आई0 के क्षेत्राधीन है जो भारत सरकार के अधीन है । पुल का नामाकरण पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से करने हेतु एन0एच0आई0 से अनुरोध किया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री नीरज कुमार सिंहः महोदय, मैं एक आग्रह के साथ वापस लेना चाहता हूँ कि पर्सनली गड़कड़ी जी से बात करके इसको करा दिया जाय । मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद)ः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 48 (श्री विजय कुमार खेमका)

श्री विजय कुमार खेमकाः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का नामकरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहार वाजपेयी पूर्णिया मेडिकल कॉलेज करें ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः माननीय सभापति महोदय, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का नामकरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने का प्रस्ताव अभी तक

प्राप्त नहीं हुआ है । विधिवत् प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा इसपर विचार किया जा सकेगा । अतः माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री विजय कुमार खेमका: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि इसको प्रस्ताव में रख करके आगे जो है इसका नामकरण माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से करें, मैं इसी के साथ अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-8/सत्येन्द्र/20-2-19

क्रमांक-50 श्री राम विचार राय

श्री राम विचार राय: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, मधुबन सूरज से बलथी गौसी रघुवंश सिंह के घर तक की 3 कि0मी0 लंबी ग्रामीण सड़क का पुलिया सहित पी0सी0सी0 करावे।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई 1750 मीटर है जो किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है । इस पथ के 42 मीटर भाग में पी0सी0सी0 एवं 1062 मीटर भाग में ब्रीक सोलिंग का कार्य पंचायत द्वारा कराया गया है । यह गांव का आंतरिक पथ है । पथ निर्माण का कार्य विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राम विचार राय: सभापति महोदय, मंत्री जी बोल रहे हैं कि प्रस्तावित है ही नहीं, तो आखिर वह कच्ची सड़क रहेगा, उसको आगे अपने नेटवर्क में ले लीजिये । मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-51 श्री रामदेव राय

श्री रामदेव राय: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के भगवानपुर-संजात एवं बछवाड़ा-समसा-विजैया सड़क का चौड़ीकरण एवं मरम्मति का कार्य पूरा करावे ।''

श्री नंद किशोर यादव,मंत्री: महोदय, संकल्पाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत है । उक्त दोनों पथों का पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण हेतु दायित्वरहित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का अनुरोध ग्रामीण कार्य विभाग से किया गया है । दायित्वरहित अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री रामदेव राय: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को सूचना देना चाहता हूॅ, सदन में अभी संसदीय कार्य मंत्री जो उस समय ग्रामीण कार्य मंत्री के चार्ज में थे, ये दोनों प्रस्ताव के बारे में स्वीकृति दिये थे और पी0डब्ल्यू0डी0 को भेजे भी थे । इधर शैलेश बाबू भी पी0डब्ल्यू0डी0 में भेजने का प्रस्ताव दिये हुए हैं और 20 वर्षों से संजात-बछवाड़ा पथ टूटी हुई है..

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: महोदय, विभाग ने जो मुझे जानकारी दी है, अभी तक एन0ओ0सी0 प्राप्त नहीं हुआ है मगर आप कह रहे हैं कि आया है तो फिर दिखवा लेते हैं जैसे ही एन0ओ0सी0 प्राप्त होगा, अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री रामदेव राय: प्रस्ताव वापस लेता हूॅ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-52 श्री मो0 नेमतुल्लाह

श्री मो0 नेमतुल्लाह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड के जलपुरवा से सरैया तक जाने वाली सड़क के बीच में दाहा नदी पर पुल का निर्माण शीघ्र करावे । ''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: अभिस्तावित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के स्वीकृत आरेखन पर नहीं है । पुल स्थल के एक तरफ सरैया बसावट एवं दूसरी तरफ जलपुरवा बसावट को अलग-अलग की सड़क से सम्पर्कता प्राप्त है । अत: पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह: महोदय, यह 8 कि0मी0 दूर एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ता है । यह गफूर साहब पूर्व मुख्यमंत्री जी का गांव है सरैंया और उनके गांव में जाने का अगर रास्ता न हो तो इससे दुख की बात और क्या है । अगर वह पुल जूट जाता है महोदय तो बहुत कम, कम से कम पांच मिनट में उनके गांव जाकर और प्रखंड में जाया जा

सकता है इसलिए माननीय मंत्री जी उस पर विचार करें और विचार करते हैं तो मैं संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-53 श्री आलोक कुमार मेहता

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्रमांक-54 श्री उपेन्द्र पासवान

श्री उपेन्द्र पासवान: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिलान्तर्गत नगर पंचायत बखरी के मुख्य बाजार के सड़क के दोनों तरफ नाला का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: माननीय मंत्री अभी दूसरे सदन में है सर ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): अभी विधान-परिषद में होंगे, इसको बाद में ले लिया जायेगा ।

क्रमांक-55 श्री नीरज कुमार

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्रमांक-56 श्री जनार्दन मांझी

श्री जनार्दन मांझी: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अमरपुर नगर पंचायत के चनसार पोखर के चारों तरफ सीढ़ी घाट एवं चारों तरफ पी0सी0सी0 पथ का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: माननीय मंत्री अभी दूसरे सदन में हैं, सर ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : इसको बाद में लिया जायेगा ।

क्रमांक-57 श्री अरूण कुमार

श्री अरूण कुमार: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिला अन्तर्गत सत्तर कटैया प्रखंड के गोबर-गाढ़ा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स) के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, राज्य सरकार द्वारा दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय दरभंगा को राज्य में एम्स के स्वरूप के दूसरे संस्थान की स्थापना एवं विकसित करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की गयी है ।

अत: महोदय, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अरूण कुमार: महोदय, मेरा अनुरोध है कि उत्तरी बिहार दरभंगा में तो मेडिकल कालेज है ही, कोशी में कहीं नहीं है और हम अनुरोध करते हैं सदन से कि वहां पर एम्स की स्थापना की जाय । जमीन संबंधी वहां से मांगा गया था रिपोर्ट और रिपोर्ट भी चला आया है, इस पर सरकार विचार करे ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री अरूण कुमार: मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री, जल संसाधन को विधान परिषद में जाना है इसलिए क्रमांक 72, 74 एवं 84, उनके विभाग से संबंधित संकल्प को पहले लिया जाता है ।

<u>क्रमांक-72 श्री राम विशुन सिंह</u>

श्री राम विशुन सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के जगदीशपुर विधान-सभा क्षेत्र में पीरो प्रखंड में पीरो-बिहियां राजवाहा में देवचन्दा मोड़ के पास अंग्रेजी शासनकाल में निर्मित पुल को सीधा करावे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहियां-बिहटा राजपथ एस0एच0-102 में बिहियां शाखा नहर के कि0मी0 23.50 पर देवचंदा पुल अवस्थित है। बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड द्वारा बिहियां- बिहटा राजपथ का चौड़ीकरण एवं नवनिर्माण का कार्य कराया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत देवचन्दा पुल का नवनिर्माण कार्य भी सम्मिलित है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राम विशुन सिंह: वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–74 श्री आनंद शंकर सिंह

श्री आनंद शंकर सिंह: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अन्तर्गत सदर प्रखंड, औरंगाबाद के ग्राम देवहरा से ग्राम सखुआ तक सोन उच्चस्तरीय नहर पथ का जीर्णोद्धार करावे ।''

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत सोन उच्चस्तरीय मुख्य नहर के कि0मी0 15.21 पर ग्राम देवहरा एवं कि0मी0 37.90 पर ग्राम सखुआ अवस्थित है। इन दोनों ग्रामों के बीच सोन उच्चस्तरीय मुख्य नहर का सेवा पथ कि0मी0 15.21 से 30.80 तक कच्चा है तथा कि0मी0 30.80 से 37.80 कि0मी0 तक सेवा पथ पर पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पक्की सड़क निर्मित है जो जर्जर अवस्था में है । उक्त स्थिति में नहर सेवा पथ पर निर्मित पक्की सड़क का जीर्णोद्धार भी पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग से ही कराया जाना अपेक्षित है । वस्तुत: सड़कों का निर्माण पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग के जिम्मे है । ऐसी स्थिति में यदि पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र की मांग की जाती है तो जल संसाधन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत कर दिया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री आनंद शंकर सिंह: महोदय, यह पथ वर्षों से जर्जर है और यह ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग के जाल में फंसा हुआ है । मेरा आग्रह होगा कि विचार करते हुए इसका जीर्णोद्धार कराया जाय । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूॅ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–84 श्री अशोक कुमार, क्षेत्र सं0–132

श्री अशोक कुमार: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला में बूढ़ी गंडक तथा करेह नदी को जोड़ने वाली पुरानी बागमती नदी की अच्छी तरह उड़ाही कराकर जल प्रबंधन योजना को कार्यरूप प्रदान करावे ।''

टर्न–9/मधुप/20.2.2019

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला में बूढ़ी गंडक तथा बागमती करेह नदी को शांति नाला जोड़ती है जिसे पुरानी

बागमती नदी भी कहा जाता है । यह घोघराहा ग्राम के निकट बागमती नदी के सूरमार हायाघाट दायॉ तटबंध के कि0मी0 6.50 के पास अवस्थित स्लुईस से निकलकर बूढ़ी गंडक नदी के बायें तटबंध के कि0मी0 107 पर निर्मित त्रिमुहान स्लुईस पर मिलती है । बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-5 के तहत प्रश्नगत कार्य का कार्यान्वयन भी शामिल है । बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-5 का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य परामर्शी मे0 आयमन्स इन्फ्रा, तेलंगाना को आवंटित है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अशोक कुमार (132) : प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 58 : श्री विनय वर्मा

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य - अनुपस्थित ।

क्रमांक- 59 : श्री शम्भूनाथ यादव

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य - अनुपस्थित ।

क्रमांक- 60 : श्री शमीम अहमद

श्री शमीम अहमद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला (मोतिहारी) एवं पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) जिला के मध्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का निर्माण कराने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : सभापति महोदय, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को राज्य में एम्स के स्वरूप के दूसरे संस्थान की स्थापना एवं विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से सिफारिश की गई है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री शमीम अहमद : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं चम्पारण में खोलने की बात कर रहा हूँ और माननीय मंत्री दरभंगा की बात कर रहे हैं ।

पूरा देश चम्पारण सत्याग्रह मना रहा है, इस अवसर पर मैं सरकार से मॉग करता हूँ कि इसकी सिफारिश केन्द्र सरकार से करे, दोनों चम्पारण के बीच में एम्स का निर्माण करावे ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : प्रस्ताव वापस ले लिया जाय ।

श्री शमीम अहमद : पहले क्लीयर कराया जाय, सर । मंत्री जी दरभंगा की बात बोल रहे हैं, हम चम्पारण की बात कर रहे हैं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : वे सुन लिये हैं, देखेंगे । प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री शमीम अहमद : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-61 : श्री शिवचन्द्र राम

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार जी इसके लिए प्राधिकृत हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है वह संत शिरोमणी गुरू रविदास जी एवं बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेदकर की जीवनी प्रथम वर्ग से माध्यमिक (मैट्रिक) तक के पाठ्यक्रम में जोड़ने की कार्रवाई करे ।''

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : सभापति महोदय, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, 2005 एवं बिहार पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, 2008 के आलोक में राज्य के विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकें विकसित की गई हैं । वर्त्तमान में कक्षा-6 के हिन्दी विषय की पाठ्य पुस्तक 'किसलय' भाग-1 में बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेदकर की जीवनी तथा कक्षा-9 के हिन्दी विषय की पाठ्य पुस्तक 'गोधूलि' भाग-1 में संत शिरोमणि गुरू रविदास जी की जीवनी एवं कक्षा-10 के हिन्दी विषय की पाठ्य पुस्तक 'गोधूलि' भाग-2 में बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेदकर की जीवनी एवं उनकी रचना सम्मिलित हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, हम सरकार से यह चाहते हैं कि प्रथम क्लास से, कारण कि बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेदकर एवं संत शिरोमणि रविदास जी के कृत्य एवं व्यक्तित्व की शुरू से ही, प्रथम क्लास से माध्यमिक क्लास तक लोगों को जानकारी हो, बच्चों को जानकारी हो, यह हमने सरकार के विचार हेतु रखा है । सरकार इसपर गम्भीरता से विचार करे और लागू करे ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : प्रस्ताव को वापस ले लिया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार : मैं प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-62 : श्री राघव शरण पाण्डेय

श्री राघव शरण पाण्डेय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह तिरूपति सुगर मिल्स बगहा, पश्चिमी चम्पारण में किसानों द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ना का भुगतान नियमानुसार आपूर्ति के 14 दिनों के अंदर सुनिश्चित करावे ।''

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : महोदय, पेराई सत्र 2017-18 में मे0 तिरूपति सुगर मिल्स लि0 बगहा, पश्चिमी चम्पारण द्वारा कुल 114 लाख 98 हजार क्वींटल गन्ना क्रय किया गया जिसका कुल ईख मूल्य 326 करोड़ 35 लाख रू0 देय होता है जिसके विरूद्ध में इस चीनी मिल द्वारा मोबलिक 326 करोड़ 9 हजार रू0 का भुगतान कर दिया गया है । भुगतान प्रतिशत 99.92 है । पेराई सत्र 2018-19 में इस मिल का पेराई कार्य प्रगति पर है । दिनांक 07.02.2019 तक 70 लाख 44 हजार क्वींटल गन्ना क्रय किया गया है जिसका देय ईख मूल्य मोबलिक 209 करोड़ 83 लाख रू0 है जिसके विरूद्ध इस चीनी मिल द्वारा मोबलिक 51 करोड़ 40 लाख रू0 का भुगतान कर दिया गया है । भुगतान प्रतिशत 24.49 है ।

विभागीय पत्रांक-87 दिनांक 15.01.2019 एवं 189 दिनांक 31.01.2019 द्वारा चीनी मिलों को पूर्व वर्षों का बकाया ईख मूल्य अविलम्ब भुगतान करते हुए चालू पेराई सत्र में बिहार ईख अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ससमय ईख मूल्य का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है ।

इसलिए माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : महोदय, 27 मार्च, 2018 को इसी आशय का संकल्प इसी सदन में आया था। माननीय मंत्री ने लिखित आश्वासन दिया था, सदन में भी कहा था कि 14 दिनों से अधिक यदि पेमेन्ट में विलम्ब होगा तो निर्देशित किया गया है कि उन्हें सूद के साथ भुगतान करना होगा और अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है और आदेश की अवहेलना की स्थिति में उन्हें वैधिक कार्रवाई करने हेतु भी आदेश दिये गये हैं ।

आज की स्थिति है कि 99 परसेंट हुआ या क्या हुआ, 14 दिनों के अन्दर न पिछले साल पेमेन्ट हुआ न इस साल । इस साल भी ढाई महीने विलम्ब से पेमेन्ट हो रहा है ।

मंत्री महोदय कृपया इस आश्वासन का अनुपालन कराना सुनिश्चित करावें कि जब भी विलम्ब होता है, चूंकि सदन को आश्वस्त किया गया है, सूद के साथ भुगतान करावें और वैधिक कार्रवाई करें ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : प्रस्ताव वापस ले लिया जाय ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : उल्टा क्या हुआ है कि किसान जब सड़क पर उतरे तो उनपर एफ0आई0आर0 कर दिया गया । इनपर कार्रवाई के लिए मंत्री महोदय से सुनना चाहूँगा।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : प्रस्ताव वापस ले लीजिये । आपकी बात आ गई है ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : प्रस्ताव तो वापस लेना ही है लेकिन मंत्री महोदय कुछ कहें तो अच्छा है।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : महोदय, मैंने बताया कि प्रावधान के अनुसार निर्देश दिया जा चुका है कार्रवाई करने के लिए ।

इसलिए हम चाहेंगे माननीय सदस्य से कि अपना यह प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-63 : श्री समीर कुमार महासेठ

श्री समीर कुमार महासेठ : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की तर्ज पर राज्य में मुख्यमंत्री पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग उद्यमी योजना प्रारंभ करे ।''

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री : सभापति महोदय, राज्य में मुख्यमंत्री पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग उद्यमी योजना सरकार के समक्ष सम्प्रति विचाराधीन नहीं है । बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग उद्यमी योजना का लाभ ले सकते हैं ।

अतएव मुख्यमंत्री पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग उद्यमी योजना को प्रारंभ करने का कोई औचित्य नहीं है ।

इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूँ कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सभापति महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इस सभा के माध्यम से सरकार को इसलिए दिया है क्योंकि लगभग उद्योगविहीन इस राज्य का औद्योगिकीकरण आवश्यक है। उद्योगों से ही रोजगार का सृजन और राज्य का उत्थान हो सकता है । राज्य सरकार द्वारा उद्यमी योजना लागू किया गया लेकिन पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ सामान्य वर्ग को छोड़ दिया गया है । ...क्रमशः...

टर्न-10/आजाद/20.02.2019

..... क्रमशः .....

श्री समीर कुमार महासेठ : एक वर्ग को ही उद्यमी बनाने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने से इस योजना के बहुत सफल होने की संभावना नहीं है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि राज्य के सभी वर्गों के नागरिकों को उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना राज्यहित में है । इसलिए मुख्यमंत्री पिछड़ा, अतिपिछड़ा एवं सामान्य वर्ग उद्यमी योजना की घोषणा माननीय मंत्री जी से मैं चाहता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : वापस तो ले लीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-64 : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-65 : श्री उमेश सिंह कुशवाहा

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला अन्तर्गत जन्दाहा प्रखंड के राजस्व ग्राम जन्दाहा व अरनिया को जोड़कर जन्दाहा को नगर पंचायत का दर्जा दिलावे । ''

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : स्थानान्तरित है नगर विकास एवं आवास विभाग में ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, यह तो पहले ही नगर विकास एवं आवास विभाग का संकल्प बनता है तो इसको नगर विकास एवं आवास विभाग में ही जाना चाहिए था ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : चलिए स्थानान्तरित हुआ ।

क्रमांक-66 : श्रीमती लेशी सिंह

श्रीमती लेशी सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत धमदाहा प्रखंड अधीन सरसी से बेलागोविन्द जाने वाली पथ में पेकधेय धार पर जर्जर स्क्रू पाईल पुल के स्थान पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ पूर्णिया जिलान्तर्गत धमदाहा प्रखंड अधीन सरसी से बेलागोविन्द जाने वाली पथ मुख्यमंत्री ग्राम्य सड़क से निर्मित है। पथ के अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात् पथ का कार्य वित्तीय वर्ष 2016-17 में

शीर्ष एम0आर0 योजनान्तर्गत स्क्रू पाईल को छोड़कर कराया गया है । पथ के तीसरे कि0मी0 में स्क्रू पाईल पुल है, जो क्षतिग्रस्त है । उक्त पुल के डी0पी0आर0 की मांग की जा रही है, तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेगी ।

श्रीमती लेशी सिंह : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस प्रस्ताव को वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक - 67 : श्री मनोज कुमार

श्री मनोज कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड के हसनपुर पंचायत अंतर्गत बख्तियारपुर गाँव में अवस्थित वर्ष 2015 में नेरा नदी पर नवनिर्मित पुल के वसावनपुर मोड़ तक सम्पर्क पथ का अविलम्ब निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित सम्पर्क पथ गोह प्रखंड के हसनपुर पंचायत के बख्तियारपुर ग्राम का है । इसकी लम्बाई 750 मीटर है । संकल्प में उल्लेखित नेरा नदी पर नवार्ड योजना अन्तर्गत 2.16.50 मीटर आकार का पुल निर्मित है, जिसमें 190 मीटर एपौच पथ का प्रावधान था । वसावनपुर एवं बख्तियारपुर दोनों बसावट पक्की सड़क पर अवस्थित है । सम्पर्क पथ के निर्माण हेतु चेक लिस्ट की मांग की जा रही है । तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतएव माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मनोज कुमार : सभापति महोदय, चेक लिस्ट की मांग के साथ-साथ डी0पी0आर0 की भी मांग कर ली जाय और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-68 : श्री यदुवंश कुमार यादव

श्री यदुवंश कुमार यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिलान्तर्गत एन0एच0-327 निर्मली से एन0एच0-106 सहहोंचिया एवं एन0एच0-106 पिपरा से चम्पानगर(राघोपुर) को जोड़ने वाली अतिमहत्वपूर्ण सड़क का निर्माण शीघ्र करावे । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ दो पथों से संबंधित है । नम्बर-1 एन0एच0-327 निर्मली से एन0एच0-106 सहहोंचिया - उक्त पथ का डी0पी0आर0 निर्मली एस0एच-76 के सहहोंचिया एन0एच0-106 के नाम से तैयार किया गया है । उक्त पथ की लम्बाई 6.35 कि0मी0 है । राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

नम्बर-2 एन0एच0-106 पिपरा से चम्पानगर (राघोपुर) - उक्त पथ का डी0पी0आर0 पिपरा चम्पानगर पथ के नाम से तैयार किया गया है । उक्त पथ की लम्बाई 9.45 कि0मी0 है । राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगी ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : महोदय, यह जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली अतिमहत्वपूर्ण सड़क है और इससे जिला मुख्यालय का 10 कि0मी0 दूरी घट जाता है.....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : यह तो हो गया ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-69 : श्रीमती सुनीता सिंह चौहान</u>

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड के सलेमपुर से कोसलो, मोतनाजे होते हुए बेलसंड जाने वाली सड़क में कोसलो मोतनाजे के सामने बागमती नदी पर पुल का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के रेखांकन पर नहीं है। पुल स्थल के एक तरफ शिवहर जिलान्तर्गत सलेमपुर बसावट पी0डब्ल0डी0 पथ शिवहर से मुजफ्फरपुर पर अवस्थित है । कोसलो एवं मोतनाजे गांव की सम्पर्कता पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से प्राप्त है । दूसरी तरफ कोई भी योग्य बसावट नहीं है । अतः पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, मारठ होकर बेलसंड जाने वाली कोसलो मोतनाजे जाने में लगभग 20कि0मी0 दूरी होती है, डूब्बाघाट होकर बेलसंड जाने में लगभग 17 कि0मी0 की दूरी होती है । कोसलो मोतनाजे के सामने पुल निर्माण होने से बेलसंड की दूरी मात्र

2 कि0मी0 की होगी । महोदय, इसी समस्या के समाधान के लिए बिहार के विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री जी 14 दिसम्बर, 2017 को इस पुल निर्माण की घोषणा किये हैं। अतः मेरा आग्रह होगा कि इस पुल का निर्माण जनहित में कराने की कृपा करें ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : ठीक है । प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमाक-70 : श्री विद्या सागर सिंह निषाद

श्री विद्या सागर सिंह निषाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अतिपिछड़े वर्गों की सूची में भिन्न-भिन्न क्रमांकों पर अंकित निषाद समुदाय के अन्तर्गत आने वाली जाति/उपजातियाँ यथा केवट, गोढ़ी (धाबी) चॉय, तीयर, बनपर, धीमर, बिन्द, बेलदार, मल्लाह, निषाद को एकीकृत कर निषाद शीर्षक कोष्टक में समावेशित करावे।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, यह गैर-सरकारी संकल्प अतिपिछडें वर्गों के सूची में विभिन्न क्रमांकों पर अंकित निषाद समुदाय के अन्तर्गत आने वाली जातियां/उपजातियां यथा केवट,गोढ़ी(धाबी), चॉय, तीयर, बनपर, धीमर, बिन्द, बेलदार, मल्लाह, निषाद को एकीकृत कर निषाद शीर्षक कोष्टक में समावेशित करने से संबंधित है ।

उपर्युक्त आशय का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री विद्या सागर सिंह निषाद : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-71 : डॉ0 रंजु गीता

डॉ0 रंजु गीता : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड बाजपट्टी के पंचायत मधुबन बसहा पश्चिमी के ग्राम बसहा में राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना की स्वीकृति सुनिश्चित करावे ।''

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, एस0एल0बी0सी0 को अग्रणी जिला प्रबंधक, सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम मधुबन बसहा पश्चिमी से लगभग 1.5 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम बागराहस में भारतीय स्टेट बैंक के कारोबारी प्रतिनिधि बी0सी0 कार्यरत हैं । ग्राम मधुबन बसहा पश्चिमी से लगभग 2 कि0मी0 की दूरी पर बसौल ग्राम

में भारतीय स्टेट बैंक के कारोबारी प्रतिनिधि बिजनेस कौरेसपौंडेन्ट कार्यरत हैं । वर्तमान में बसहा ग्राम में बैंक की कोई शाखा खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

डॉ0 रंजू गीता : सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूँ कि मधुबन बसहा के नाम से बहुत पूर्व में बैंक स्वीकृत था लेकिन वहां आवागमन और लोगों के जागरूकता के कमी के कारण वहां बैंक हरपुरवा पंचायत यानी 8 पंचायत के बाद या जो भी शाखा खोली गयी है, महोदय वहां बैंक नहीं है और जितनी भी केन्द्र प्रायोजित योजनायें, राज्य प्रायोजित योजनायें सबों में आम-अवाम को बैंक के माध्यम से, आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से आम-अवाम को सुविधा पहुँचाना है । इसलिए सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय सह वित्त मंत्री महोदय से कि वहां पर बैंक निश्चित रूप से खोलवाने का कृपा करें ...

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : ठीक है, प्रस्ताव को वापस ले लीजिए ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि अब बैंक की परिभाषा बदल गयी है । अब बैंक की परिभाषा के अन्तर्गत अगर बैंक के स्टाफ अथवा उनके प्रतिनिधि सप्ताह में कम से कम 5 दिन, प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे के लिए जमा राशियां स्वीकार करने, चेकों का नकदीकरण, नकद, आहरण अथवा पैसा उधार देने की सेवायें उपलब्ध करायी जाती है, जिसको अब बिजनेस कौरेसपौंडेन्ट कहते हैं ग्राहक सेवा केन्द्र जैसा तो अब बकायदा बैंक नई शाखायें नहीं खोल रहा है जो बिल्डिंग के अन्दर बकायदा शाखा खोलती है बल्कि अपने बिजनेस कौरेसपौंडेन्ट को गांव के अन्दर नियुक्त करती है ..... क्रमशः .....

टर्न-11/शंभु/20.02.19

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : क्रमशः....और वह 4 घंटा हफ्ते में 5 दिन गांव के किसी निश्चित स्थान पर बैठते हैं और लोगों का पैसा जमा करना, लोगों का भुगतान करना उसके माध्यम से किया जाता है । मैंने बताया कि इस ग्राम के डेढ़ कि0मी0 की दूरी पर एक बिजनेश कोरेस्पोंडेंट है और दूसरे 2 कि0मी0 की दूरी पर एक बिजनेश कोरेस्पोंडेंट है । इसलिए केवल शहरी और गिनेचुने क्षेत्रों के अलावा जिसको ब्रिक ऐंड मोर्टार ब्रांच बोलते हैं उस तरह की ब्रांच न खोलकर गांव-गांव के अंदर अपने प्रतिनिधि नियुक्त करती है जिसके माध्यम से बैंकिंग सेवा को प्रदान किया जाता है ।

डा0 रंजु गीता : मैं अपना संकल्प वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–73(श्री निरंजन कुमार मेहता)

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखंड अन्तर्गत सुखासन पंचायत के शत्रुधन केशव टोला वार्ड नं0–6 एवं कमलपुर गांव सुरसंड नदी के एक ओर एवं इसी पंचायत का सुखासन एवं बभनगामा सुरसर नदी के दूसरी ओर स्थित है, को जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री संपर्क पथ योजना से निर्मित सड़क के निकट सुरसंड नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ बसावट के शत्रुधन केशल टोला के निर्माणधीन पथ पर पी0एम0जी0एस0वाइ0 पथ के केशव टोला जिसकी लंबाई 2.40 कि0मी0 है, से संपर्कता प्राप्त हो रही है तथा दूसरी तरफ के बसावट बभनगामा गांव को एम0एम0जी0एस0वाइ0 पथ अरार से रजनी प्रसादी पथ से संपर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : सभापति महोदय, मैं अपना सुझाव देना चाहूंगा और आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि सुखासन बभनगामा वही नहीं और है वीरगंज चतरा पंचायत उस तरफ कमलपुर है, केशवटोला है, झिटकिया कलौधा है । इतना आबादी का है कि दो–तीन पंचायत को पुल के संपर्कता के लिए जरूरत है । किसान का जो है बीच में सुरसर नदी और इस तरफ किसान है और उस तरफ उसका सब खेत है, समूचा जमीन जगह है– आरपार करने में वहां से 6 कि0मी0 पर पुल है ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : प्रस्ताव को वापस ले लीजिए ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : मैं अपना सुझाव रख रहा हूँ एक मिनट । इसके लिए मैं अनुरोध करूँगा माननीय मंत्री से आपके माध्यम से कि उसपर पुल होना जरूरी है जिससे कि दो पंचायत के आबादी के किसान को सुविधा होगी आर–पार करने में कृषि कार्य करने के लिए इसलिए मैं अपना सुझाव दे रहा हूँ और अनुरोध करता हूँ । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–75(श्री रामचन्द्र सहनी)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह अधिकृत हैं ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत प्रखंड रामगढ़वा के सिंहासनी पंचायत में सिंहासनी नासी पर पुल का निर्माण कार्य करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल राज्य के किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है । नासी नाला के एक तरफ सिंहासनी गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित पथ से संपर्कता प्राप्त है एवं दूसरी तरफ सुगौली प्रखंड के बसावट को पक्की सड़क से संपर्कता प्राप्त है । अतः पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, यह पुल के निर्माण का सवाल है इसके लिए संकल्प है और पुल के लिए तो कोई कोर नेटवर्क बनता नहीं है तो फिर माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है । यह नहीं समझ में आ रहा है कि कोर नेटवर्क में पुल भी शामिल होता है, जरा इसको माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : हमने बताया महोदय कि दोनों तरफ से जिस गांव की चर्चा कर रहे हैं, संपर्कता प्राप्त है इसलिए पुल का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । हमने जवाब दिया है कि अभिस्तावित पुल स्थल राज्य के किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है । नासी नाला के एक तरफ सिंहासनी गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निर्मित पथ से संपर्कता प्राप्त है- मतलब सिंहासनी गांव को दूसरी तरफ है सुगौली प्रखंड के बसावट को पक्की सड़क से संपर्कता प्राप्त है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-76(श्रीमती पूनम देवी यादव)</u>

श्रीमती पूनम देवी यादव : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार जेल मैनुअल में पूर्व विधायक को कारा बंदी की स्थिति में श्रेणी की सुविधा का प्रावधान करे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, बिहार कारा हस्तक 2012 के अनुसार पूर्व विधायक को कारा में कोई विशेष सुविधा देय नहीं है, न ही इससे संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन है । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि कृपया अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि जिस तरह से वर्तमान एम0पी0 और विधायक हैं उसी तरह से जो पूर्व विधायक हैं वे भी

जनता का उतना ही पेंशन लेते हैं, काम करते हैं तो क्यों नहीं इसका फिर से नियम में प्रावधान करके कोई आगे....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : ठीक है प्रस्ताव को वापस लीजिए ।

श्रीमती पूनम देवी यादव, : अगर आश्वासन दे देते । ठीक है वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-77 श्री आफाक आलम

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्रमांक-78(श्री अनिल सिंह)

श्री अनिल सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा (पी0टी0) में उत्तीर्ण होने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अग्रेतर तैयारी हेतु क्रमशः 50000 (पचास हजार) एवं 100000 (एक लाख) रूपये एकमुश्त देने की व्यवस्था करे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । आगे अगर आयेगा कोई मामला तो देखा जायेगा । इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूँगा कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री अनिल सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों की कोई जाति नहीं होती, उनकी एक ही जाति है और वह है विद्यार्थी । जो विद्यार्थी सामान्य वर्ग के, गरीब घर के आंगन में पैदा लिया यह उनका अपराध नहीं है, बहुत मेधावी विद्यार्थी रहते हुए भी आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझने के कारण वह अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं । भारत सरकार ने अभी-अभी और बिहार सरकार ने भी सामान्य वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण तक का प्रावधान किया है । मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि उन विद्यार्थियों के लिए जो संसाधन के अभाव में जिनकी प्रतिभा दम तोड़ रही है उनको प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक अवसर मिले और सरकार

इस प्रोत्साहन राशि को अविलंब लागू करे । इस आग्रह के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-12/ज्योति/20-02-2019

क्रमॉक 79 श्री अचमित ऋषिदेव

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के काली मंदिर के आसपास रानीगंज में एन0एच0-327ई में जाम की समस्या का स्थायी निदान के लिए फ्लाई ओवर का निर्माण कराने की सिफारिश भारत सरकार से करे । ''

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-327ई के कि0मी0 119, कि.मी0 120 एवं कि0मी0 121 में रानीगंज बाजार स्थित है एवं कि0मी0 120 में रानीगंज प्रखंड का काली मंदिर स्थित है । एन0एच0 327ई के रानीगंज में जाम की समस्या का स्थायी निदान हेतु फ्लाई ओवर निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन जाम की समस्या को देखते हुए रानीगंज बाई पास का निर्माण कार्य योजना 2019-2020 में शामिल करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री तार किशोर प्रसाद): सदन की सहमति माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉक 80 श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिला के बिहारो पी0एम0जी0एस0वाय0 से बगडुम्बा तीन सिमानी झारखंड बॉर्डर तक पथ निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लम्बाई 11 कि0मी0 है । उक्त पथ के तकनीकी प्रतिवेदन की मांग की जा रही है तदोपरान्त अग्रतर कार्रवाई की जायेगी । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : धन्यवाद के साथ अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): सदन की सहमति माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमॉक 81 श्री सुबाष सिंह

श्री सुबाष सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य की अगड़ी जाति के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव एवं उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए एक आयोग का गठन करावे । ''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, राज्य की ऊँची जातियों में शैक्षणिक एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के विकास हेतु राज्य सरकार संवेदशील एवं प्रतिबद्ध है । सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के ऊच्च जातियों में से कमजोर वर्ग के लोगों को चिन्हित करने, उनकी आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का समग्र अध्ययन कर पिछड़ेपन के कारण एवं उनके दूर करने के उपायों पर विस्तृत प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करने तथा इसकी शैक्षणिक आर्थिक स्थिति के उन्नयन तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अनुशंसा करने के लिए उच्च जातियों के राज्य आयोग का गठन किया गया था । इस आयोग द्वारा आद्री नामक संस्था से राज्य की उच्च जातियों का सर्वेक्षण कराते हुए आद्री के प्रतिवेदन एवं अन्य अनुशंसाओं के सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए आयोग की अनुशंसाएं राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी । राज्य सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसाओं पर विचार के उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 6267 दिनॉक 28-02-15 द्वारा राज्य की उच्च जातियों, अल्पसंख्यक सहित, के परिवार जिनकी पारिवारिक आय अनिल जी जो कह रहे थे महोदय, उसका भी इसमें है । 1लाख 15 हजार प्रति वर्ष से कम हो जाने पर छात्रों जिन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण प्राप्त किए हैं को भी मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 10 हजार की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की व्यवस्था है । शिक्षा विभाग के द्वारा उच्च जातियों को 1 से 10 तक के वैसे छात्रों की जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख प्रति वर्ष से कम हो छात्रवृति प्रदान करने की योजना चलाने का आदेश निर्गत किया गया है । सामान्य एंव प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 7662 दिनॉक 26-05-15 से उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग द्वारा स्वीकृत आद्री के प्रतिवेदन की अन्य अनुशंसाओं पर सभी संबंधित विभाग से विचारोपरान्त प्रस्ताव तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसके प्रतिवेदन की अनुशंसाओं पर विचार

करते हुए राज्य के उच्च जाति के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सम्यक विकास हेतु प्रस्ताव तैयार करके, उसे सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना है । उच्च जातियों के लिए आयोग के गठन का उद्देश्य पूरा हो जाने के फलस्वरुप इन आयोग को भंग करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 12594 दिनॉक 25-08-15 द्वारा उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग का गठन किया गया है । इस आयोग द्वारा पूर्व के आयोगों की अनुशंसा सहित प्राप्त आद्री के विस्तृत प्रतिवेदन के अध्ययन के साथ स्वतंत्र रुप से अध्ययन, सर्वेक्षण कराकर राज्य की ऊंची जाति के कमजोर वर्ग के उन्नयन एवं सार्वजनिक विकास की दिशा में आगे कार्य किया जाना है । राज्य में उच्च जाति के साथ भेद भाव उत्पीड़न की कोई शिकायत अबतक संज्ञान में नहीं आयी है । भविष्य में यदि कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होगी तो उसपर तत्परतापूर्वक कार्रवाई होगी । अभी तत्काल में आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): लंबा और विस्तार से जवाब आपको मिल चुका है ।

श्री सुबाष सिंह : महोदय, यह तो अनिल जी का जवाब था ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री सुबाष सिंह : मैंने प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि आए दिन देखने में आता है कि अगड़ी जाति के लोगों पर जाति सूचक टिप्पणियॉ की जाती हैं परन्तु उनकी सुनवाई की व्यवस्था नहीं है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आयोग है परन्तु अगड़ी जाति के साथ भेदभाव होने पर सुनवाई की कोई व्यवस्था नहीं है । राज्य की अगड़ी जातियों के लिए आयेाग है परन्तु इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भेदभादव की शिकायत सुनने का प्रावधान नहीं है । इसलिए सरकार इसे स्वीकार कर ले ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये । आपकी बात आ गयी है।

श्री सुबाष सिंह : टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भेदभाव की सुनवाई का प्रावधान करें ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री सुबाष सिंह : वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमाँक 82 श्री सुदामा प्रसाद

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह महादलित टोला में अथवा नजदीक में सामुदायिक भवन बनवाने के लिए सरकार 5 कट्ठा जमीन स्वयं खरीद कर दे अन्यथा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मद में जमीन खरीदने का नियमावली में प्रावधान करावे । ''

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : महोदय, विभागीय नीति के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वास रहित महादलित एवं सुयोग्य श्रेणी के परिवारों (यथा-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग (एनेक्सर-1 एवं एनेक्सर-11) को कलस्टर (यथा सम्भव 20 परिवार) में बसाने के संदर्भ में 05 डिसमिल जमीन प्रति परिवार की दर से (अर्थात 20 x 5 = 100 डिसमिल) वास हेतु वास भूमि तथा वास भूमि के अलावे 20 डिसमिल अतिरिक्त जमीन आन्तरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराने का प्रावधान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया गया है ।

2- यह प्रावधान राजस्व विभागीय संकल्प सं0-153(8)/रा0 दिनाँक 09-02-2015 से निर्गत एवं संसूचित है ।

3- सम्प्रति यह विषय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित '' अभियान बसेरा'' कार्यक्रम से आच्छादित है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, यह कोई व्यावहारिक जवाब है क्या ? हमलोग तो कहीं नहीं देख रहे हैं कि ऐसा कुछ दिया जा रहा है ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): तो ठीक है, अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री सुदामा प्रसाद : हम तो इसीलिए प्रस्ताव लाए हैं कि दें । सरकार ऐसा नियम बनावे ।

सभापति(श्री तार किशोर प्रसाद): ठीक है ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय मंत्री जी कहें ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : महोदय, मैंने तो आग्रह इनसे किया कि वापस ले लीजिये । राजस्व विभाग का जो प्रावधान किया गया है सारी बातें इनको बताने का काम हमने किया है इसलिए पुनः आग्रह कर रहे हैं वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री सुदामा प्रसाद : ठीक है, वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉक 83 श्री राज कुमार राय

श्री राज कुमार राय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के बिथान प्रखंड स्थिति लरझा घाट पुल से दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान प्रखंड स्थित सतीघार तक सड़क निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पथ 5 पथों से संबंधित है परकौली से तेजराही पथ- इस पथ की लम्बाई 6.816 कि.मी. है जो पी.एम.जी.एस.वाय. अंतर्गत निर्माणाधीन है पथ के लगभग 6 कि.मी. का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष बचा हुआ पी.सी.सी. कार्य मार्च 2019 तक पूर्ण करा लिया जायेगा ।

2- यदरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड अंतर्गत लरक्षा घाट से चिगरी की सम्पर्कता के लिए एम.एम.जी.एस.वाय. से सिमराहा से करकौलिया पथ निर्मित है तथा अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है पथ की स्थिति अच्छी है ।

3-चिगरी से झझरा को जोड़ने वाली पथांश के लिए एम.एम.जी.एस.वाय से झझरा आर.ई.ओ से चिगरी परकौलिया पथ निर्मित है इस पथ के अंश भाग में बाढ़ अतिवृष्टि के कारण सामान्य अनुरक्षण के अतिरिक्त क्षतिग्रस्त पथांश के पुनर्स्थापन कार्य स्वीकृति पूरक एकरारनामा से करा लिया जायेगा ।

क्रमशः

टर्न-13/20.02.2019/बिपिन

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः (क्रमशः) 4- झझरा से समैला को जोड़ने के लिए एम.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत समैला से शाहपुर पथ के मरम्मती हेतु शीर्ष 3054 से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त है एवं पुनर्निविदा की प्रक्रिया में है ।

5. समैला से सती घाट तक यह पथांश पथ प्रमंडल बेनीपुर पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित है । इस पथ के उन्नयन एवं निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रिया अंतर्गत है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राज कुमार रायः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि महोदय मात्र इसमें 02 कि0मी0 सड़क अच्छी है, बाकी 10 से 12 कि.मी. अति जर्जर है। यह लगभग 15 वर्षों से सड़क जर्जर है । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इसको शीघ्र बनाया जाए । यह चार प्रखंड को जोड़ता है महोदय । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-85 श्री सुरेन्द्र कुमार

श्री सुरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी रेलमार्ग पर बागमती नदी के उत्तर कल्याणपुर में हॉल्ट का निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री: महोदय, मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी रेलमार्ग पर बागमती नदी के उत्तर कल्याणपुर में हाल्ट के निर्माण हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी ।

सभापति: (श्री तारकिशोर प्रसाद) माननीय परिवहन मंत्री ने इसे स्वीकृत किया है । सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-86 श्री रवि ज्योति कुमार

श्री रवि ज्योति कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के सिलाव प्रखंड के कैरियन्ना पंचायत के कैरियन्ना गॉव में स्थित चोरनिया पैन में पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ कैरियन्ना ग्राम है जिसे एम.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत निर्मित सिलाव, गिरियक प्रखंड से कैरियन्ना तक पथ की संपर्कता प्रदत्त है । इसके दूसरे तरफ घोसतावां गांव है जिसे एम. एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत निर्मित घोसतावां मितवा पथ से संपर्कता प्राप्त है । इस आरेखन पर कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रवि ज्योति कुमार: महोदय, कम-से-कम 25 गांव का संपर्क प्रखंड हेडक्वार्टर से नहीं होता है । यह कहते हुए, आशा रखते हुए मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-87 डा0 मेवालाल चौधरी

डॉ0 मेवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिलान्तर्गत मनरेगा की

राशि गबन से संबंधित तारापुर थाना काण्ड संख्या-21/2018 की शीघ्र जॉचकर कार्रवाई सुनिश्चित करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर कांड संख्या-21/2018 श्री राजीव कुमार तत्कालीन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तारापुर द्वारा दर्ज कराया गया । प्राथमिकी मैं खैरा पंचायत के वर्तमान मुखिया श्री बिहारी लाल कुशवाहा के अतिरिक्त अन्य चार को नामजद अभियुक्त बनाया गया । उक्त कांड संख्या 21/2018 की प्राथमिकी से ज्ञात होता है कि इसमें गबन से संबंधित धाराएं नहीं है अपितु मारपीट एवं छीन-झपट से संबंधित धाराएं लगाई गई है ।

डॉ0 मेवालाल चौधरी : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि सारे फसाद का जो जड़ है श्री अनिल कुमार, जो जे.ई. हैं तारापुर में मनरेगा, का जो पिछले आठ साल से वहीं पर काम कर रहे हैं । यह सारा मनरेगा से संबंधित झगड़ा था और अनिल कुमार इसके मुख्य अभियुक्त हैं । इसके उपर अगर जांच कर माननीय मंत्री जी कार्रवाई करें तो बड़ी कृपा होगी । इस अनुरोध के साथ मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

<u>क्रमांक-88 श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह</u>

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड को अनुमण्डल का दर्जा प्रदान करे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, राज्य में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन हेतु मंत्रियों का समूह माननीय उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है । साथ ही, मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु सचिवों की समिति गठित है । सचिव की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाई के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिव की समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है । प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है । प्रस्ताव आने पर विचार किया जायेगा ।

अत: अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-89 श्री मदन मोहन तिवारी

श्री मदन मोहन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प0 चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया प्रखंड के पीपरा पकड़ी पंचायत के रानी पकड़ी के सोनरपटी के समीप कोहडा नदी में पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल पर पुल निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है जिसकी तकनीकी समीक्षा की सजा रही है । तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री मदन मोहन तिवारी : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-90 श्रीमती गायत्री देवी

श्रीमती गायत्री देवी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि -

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत मानिकपुर-मुशहरनियॉ गॉव होकर बहने वाली हरदी नदी पर बियर का निर्माण कार्य करावे ।''

श्री दिनेश चन्द्र यादव, मंत्री: सभापति महोदय, योजना का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाएगा । सर्वेक्षणोपरांत योजना तकनीकी दृष्टिकोण से संभाव्य पाए जाने पर प्राथमिकता के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत् कार्य करा दिया जाएगा ।

अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्रीमती गायत्री देवी: सभापति महोदय, वापस तो ले लेंगे । मंत्री जी से मैं कहना चाहती हूं, बड़ी परेशानी होती है । समय-सीमा तो तय कर दें । मैं प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-14/कृष्ण/20.02.2019

क्रमांक - 91 श्री चन्द्रसेन प्रसाद

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि नालन्दा जिला के तेल्हाड़ा में खुदाई के दौरान प्राचीन तिलाधत विश्वविद्यालय होने का मिले साक्ष्य के आधा पर वहां पुन: तिलाधत विश्वविद्यालय की स्थापना करावे।"

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : सभापति महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य में उच्चत्तर शिक्षा के विकास हेतु प्रयास किये जा रहे हैं । राज्य सरकार के प्रयास से केन्द्र सरकार द्वारा नालंदा में नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है । दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय,गया तथा महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय,पूर्वी चम्पारण की भी स्थापना हो चुकी है । भागलपुर के विक्रमशीला में एक अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना की कार्रवाई चल रही है तथा इसके लिये भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई अंतिम चरण में है । राज्य सरकार द्वारा तीन नये विश्वविद्यालय - पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय,पटना, पूर्णियां विशविविद्यालय,पूर्णिया एवं मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर की स्थापना की गयी है तथा ये संचालित भी हो रहे हैं । संप्रति नालन्दा में तिलाधत विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय तो कहानी कह रहे थे । बिहार सरकार पूरे बिहार में जो कार्य कर रही है, वह हम सब लोग जानते है। हम माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि जब तेल्हाड़ा की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं महामहिम राष्ट्रपति से तिलाधत विश्वविद्यालय की मांग कर चुके हैं और हमारे जो पड़ोसी माननीय मंत्री हैं, उसे कहानी में बदल कर टाल रहे हैं । हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि तिलाधत विश्वविद्यालय की जो खुदाई का कार्य चल रहा है, उसको पुन: एक बार देखने का काम करें ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक - 92 श्री अवधेश कुमार सिंह</u>

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किडनी, हृदय रोग, कैंसर आदि गंभीर बीमारियों से राजय के ग्रसित मरीजों के सफल चिकित्सा हेतु C.G.H.S. के तहत चिकित्सालयों की संख्या में वृद्धि हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय,भारत सरकार से सिफारिश करे । "

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा सरकार C.G.H.S सूचीबद्ध अस्पतालों में करायी जानेवाली चिकित्सा हेतु निर्धारित प्रावधान के अनुसार बिहार राज्य के रोगियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान प्रदान किया जाता है ।

C.G.H.S के अंतर्गत अस्पतालों की सुचीबद्धता का कार्य भारत सरकार द्वारा संबंधित अस्पताल के आवेदन के आधार पर किया जाता है । इस कार्य का संबंध राज्य सरकार से नहीं है ।

अतः माननीय सदस्स से आग्रह होगा कि कृपया वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अवेधश कुमार सिंह : सभापति महोदय, ये जो गंभीर रोग हैं, माननीय मंत्री ने कहा है कि जो भी ग्रसित हैं किडनी, कैंसर, हृदय रोग से, जो मान्यता प्राप्त अस्पताल जो C.G.H.S के अन्तर्गत आता है, उसी को मान्यता प्राप्त है । एक तरफ सरकार घोषणा करती है कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से उन रोगियों के ईलाज हेतु राशि दिया जायेगा, जिसमें किडनी, कैंसर, हृदय रोग यह सब लिखा हुआ है। महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को हम एक जानकारी देना चाहते हैं कि जो बड़े-बड़े अस्पताल हैं जैसे -अपोलो, बेदान्ता, गंगा राम जिस गरीब का किडनी फेल हो जाता है, वह चाहता है कि मेरा दो रूपया लगे तो हम अच्छे डाक्टर के यहां ईलाज के लिये जाय, जहां हमारा किडनी का ट्रांसप्लांट होगा । महोदय, वर्ष 2012 में अपोलो हॉस्पीटल C.G.H.S के अन्तर्गत आता था । हमारे क्षेत्र का एक पंकज कुमार सिंह इन्टरनेट से पता लगाया कि अपोलो हॉस्पीटल C.G.H.S सूची में आता है, उसने वहां ऑपरेशन करवा लिया और उसने यहां माननीय मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष में आवेदन दे दिया तो उसका पेमेंट नहीं हुआ । महोदय, यह कहते हुये पेमेंट नहीं हुआ कि यह C.G.H.S की सूची अन्तर्गत नहीं आता है । तो 2012 तक जब अपोलो हॉस्पीटल जब रजिस्टर्ड था तो उसे C.G.H.S की सूची से हटने का कारण क्या है ? सभापति महोदय, पूरा सदन चाहे वह पक्ष के माननीय सदस्य हों या विपक्ष के माननीय सदस्य हों या माननीय मंत्री हो, सभी के क्षेत्र में लोग गंभीर रोगों से ग्रस्त होते हैं, चाहे वह किडनी फेल हो, हृदय रोग हो या कैंसर हो इन तमाम गंभीर बीमारियों के लिये, माननीय उप मुख्यमंत्री से भी हमने निवेदन किया था और यह गंभीर मामला है और यह पूरे सदन का मामला है । महोदय, प्रस्ताव तो हम वापस लेंगे ही । लेकिन इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए । ऐसे गंभीर रोगियों यथा कैंसर, किडनी फेल, हृदय रोग से ग्रस्त रोगियों के ईलाज हेतु भुगतान कराया जाय ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के अन्तर्गत सभी गंभीर बीमार पड़े लोगों को सहायता राशि देने का काम करती है । यह सत्य है जो C.G.H.S से इम्पैनल्ड हॉस्पीटल होते हैं, उन्हीं अस्पतालों को हम राशि मुहैया करा सकते हैं । जहां तक

माननीय सदस्य ने C.G.H.S से इम्पैनल्ड होने का प्रश्न उठाया है तो मैं बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि किसी भी अस्पताल को आप जबर्दस्ती C.G.H.S में इम्पैनल्ड नहीं कर सकते हैं । उसके लिये उस अस्पताल को आवेदन देना होता है और वह भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा वहां पर C.G.H.S में कोई अस्पताल इस बात के लिये आवेदन देता है कि मेरे अस्पताल को C.G.H.S में इम्पैनल्ड किया जाय । जब वह C.G.H.S में इम्पैनल्ड हो जाता है तो वह सूचीबद्ध हो जाता है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि न केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि देश के कई प्रख्यात प्राईवेट हॉस्पीटल्स भी हैं, जो C.G.H.S से सूचीबद्ध हैं, जहां किडनी, लीवर, हृदय रोग आदि जैसे गंभीर बीमारियां हैं, उनके ईलाज के लिये बिहार सरकार की तरफ से राशि उन अस्पतालों को मुहैया कराया जाता है । जिस विशेष अस्पताल के बारे में आदरणीय अवधेश बाबू ने इस विषय को उठाया है, वह अस्पताल 2012 में सूचीबद्ध रहा होगा लेकिन उसने फिर आगे के वर्ष के लिये आवेदन शायद नहीं किया होगा C.G.H.S में सूचीबद्ध के लिये । इसलिए उनका आगे के वर्ष में C.G.H.S में इम्पैनल्ड नहीं हुआ होगा ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय मंत्री ने विस्तार से अपनी बातों को रखने का काम किया है । माननीय सदस्य आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय, सुन लीजिये न । यह किसी व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है बल्कि पूरे सदन का सवाल है । C.G.H.S का जो रजिस्ट्रेशन होता है, वह भारत सरकार करता है । जब एक बार इम्पैनल्ड हो गया अपोलो हॉस्पीटल तो उसको भुगतान नहीं हुआ । आप प्राईवेट हॉस्पीटलों को भुगतान नहीं करेंगे । इसको गंभीरता से नहीं लीजियेगा तो ...

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद : आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : मैं तो प्रस्ताव वापस लूंगा ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक - 93 श्रीमती रेखा देवी</u>

श्रीमती रेखा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के धनरूआ, मसौढ़ी प्रखंड अन्तर्गत एन0एच0-83 से गुजरने वाली नदवां से सकरपुरा मोड़ तक जर्जर सड़क का पक्कीकरण करावे ।"

श्री नन्द किशोर प्रसाद,मंत्री : सभापति महोदय, वर्तमान में संवेदक द्वारा एन0एच0-83 के फोरलेन के चौड़ीकरण का कार्य छोड़ दिया गया है । अतः उक्त कार्य को पूरा करने के लिये एन0एच0आई0 द्वारा नये सिरे से निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई की जा रही है । पुराने पथांश के रख-रखाव के लिये एन0एच0आई0 द्वारा दो भाग में निविदा करने की मंजूरी दी गयी है । प्रथम निविदा कुल लंबाई 63.70 कि0मी0 जिसमें प्रश्नगत पथांश का नदवां शामिल है, की मंजूरी कुल राशि 36 करोड़ मात्र के लिये एन0एच0आई0 द्वारा दी गयी । संवेदक द्वारा उस एलायंमेंट में काम प्रारंभ कर दिया गया है ।

दूसरी निविदा कुल लंबाई 41.565 कि0मी0 के लिये आमंत्रित की गयी है, जिसकी कुल राशि रूपये 14.97 करोड़ मात्र है । इस निविदा में प्रश्नगत पथांश का शेष भाग नदवां से सकरपुरा मोड़ शामिल है । निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव कृपया वापस ले लें ।

श्रीमती रेखा देवी : धन्यवाद के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक - 94 श्री ललित कुमार यादव

सभापति (तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अनुपस्थित ।

टर्न-15/अंजनी/दि0 20.02.19

क्रमांक-95, डा0 विनोद प्रसाद यादव

डा0 विनोद प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमंडल को अविलम्ब पुलिस जिला बनावे ।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी पुलिस अनुमंडल अतिनक्सल प्रभावित अनुमंडल है । जिला पुलिस मुख्यालय से कोठी थाना एवं सहोल थाना की दूरी 95 किलोमीटर है, जो अतिनक्सल प्रभावित क्षेत्र में पड़ता है एवं थाना की सीमा झारखंड राज्य से लगती है । शेरघाटी क्षेत्र में दो पुलिस अनुमंडल क्रमशः शेरघाटी, इमामगंज है तथा कुल 17 थाना कार्यरत है । उग्रवाद नियंत्रण साम्प्रदायिक एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम वर्त्तमान में गया पुलिस जिला से किया जा रहा है । शेरघाटी अनुमंडल को पुलिस जिला बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

डा0 विनोद प्रसाद यादव : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी अपने जवाब में स्वीकार किये हैं कि शेरघाटी अनुमंडल अतिउग्रवाद प्रभावित अनुमंडल है और उसमें 17 थाने हैं और झारखंड सीमा से सटे हुए है । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि गया जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी से लोग आते हैं, अतः सरकार उस अनुमंडल को पुलिस जिला बनावे ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : ठीक है । आप संकल्प वापस लीजियेगा, तब न विचार करेंगे ।

डा0 विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-96,श्री विद्या सागर केशरी

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज प्रखंड के पीपरा पंचायत के पीपरा मौजा में विशनपुर चौक पर बी0ओ0पी0 कुसनाहा एस0एस0बी0 कैम्प के विस्तार के लिए अधिग्रहित की गयी जमीन की मुआवजा की राशि का भुगतान आवासीय प्रकृति के रूप में भूस्वामी को करावे ।"

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समाहर्त्ता, अररिया ने प्रतिवेदित किया है कि पीपरा पंचायत के पीपरा मौजा में विशनपुर चौक पर बी0ओ0पी0 कुसमाहा के निर्माण हेतु भूमि अर्जन की अधियाचना कमांडेंट, 26 वाहिनी, सस्त्र सीमा बल, बथनाहा से प्राप्त हुआ है, जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि की प्रकृति कृषि दर्शाया गया है।

जहां तक मुआवजा की राशि का भुगतान आवासीय प्रकृति के रूप में करने का प्रश्न है, इस संबंध में निर्गत विभागीय दिशा-निदेश के आलोक में स्थल जांचोपरांत भूमि के प्रकृति का निर्धारण किया जाना है । तदनुसार प्रकृति के निर्धारण एवं अधिसूचना/अधिघोषणा के प्रकाशन के उपरांत भू-स्वामियों को मुआवजा राशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय,....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बड़ा विस्तार से जवाब दिया है।

श्री विद्या सागर केशरी : जिला द्वारा निर्धारित प्रेसेसन मूल्य जो है, आवासीय प्रकृति के तहत ली जाती है । बोर्डर रोड से सटे पूर्व से बी0ओ0पी0 कैंप कुसमाहा परिसर में आवासीय आवास बने हुए है। बोर्डर रोड से सटी जमीन वर्तमान में दो लाख रूपया डिसमिल में भी उपलब्ध नहीं है ।

अध्यक्ष : अभी तो आपको वापस लेने के संबंध में अपना विचार रखना है ।

श्री विद्या सागर केशरी : वापस तो ले ही लेंगे लेकिन किसान के हित का काम भी देखना है।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-97, श्री संजीव चौरसिया</u>

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दीघा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नं0-1 के दीघा, राजीव नगर, जयप्रकाश नगर, केसरी नगर, वार्ड नं0-6 के नेपाली नगर के निवासियों को स्थाई आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करावे ।"

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समाहर्त्ता, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-दीघा, थाना सं0-01 की 1024 एकड़ भूमि बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अर्जित है । उक्त अर्जित भूखंड पर अनेक लोग अवैध रूप से मकान बनाकर रह रहे हैं । उक्त भूखंड पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को भूमि का स्वत्व प्राप्त नहीं है, अतः ऐसे लोगों को स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जाता है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे ।

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, बड़ा प्रश्न यह है कि पूर्व में भी वर्ष 1995 - 2000 तक स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत होते थे, पर अभी तक मुआवजा नहीं मिला है । तो वहां अवैध करना, जबकि दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती अधिनियम, 2010 के तहत एक्ट का प्रावधान भी हो गया है तो यह कहां से न्यायसंगत है, तर्कसंगत है, वहां के लोग बिजली बिल देते हैं, टैक्स पे करते है, सब कुछ देते हैं तो स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत क्यों नहीं होता है ? यह बड़ा प्रश्न है, आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहां आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने की त्वरित कार्रवाई निश्चित रूप से की जाय । करीब एक लाख से आबादी इससे प्रभावित है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको देख लीजिए जो माननीय सदस्य कह रहे हैं । माननीय सदस्य, आप अपनी बात माननीय मंत्री जी को बता दीजियेगा, ये देखेंगे, अभी आप अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री संजीव चौरसिया : महोदय, निश्चित रूप से एक बड़ी आबादी प्रभावित है। महोदय, यह बड़ा न्यायपूर्ण और यह बहुत अवधि तक इसको रोकी गयी है, पहले मिलती थी, उसके बाद रोकी गयी है, इधर के दिनों में रोकी गयी है ।

अध्यक्ष : सारी बातों को माननीय मंत्री जी देखेंगे, अभी आप अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-98, श्रीमती आशा देवी

श्रीमती आशा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह ग्रामीण कार्य प्रमंडल, दानापुर अंतर्गत तुरहाटोली, लोदीपुर बांध बटाला एकौल सड़क मरम्मती कार्य का डी0पी0आर0 करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ तीन पथों से संबंधित है । नम्बर-1-दानापुर कन्टॉनमेंट से चांदमारी लोदीपुर बांध तक पथ, बिहार ग्रामीण पथ पुनरीक्षण नीति,2018 के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जायेगी । नम्बर-2-रघुरामपुर पंचायत तुरहाटोली निरपुर चांदीमारी होते हुए सिकन्दरपुर मुशहरी तक एवं खीरनीचक से धनेश्वर सिंह के मकान तक पथ बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति,2018 के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जायेगी । नम्बर-3- मुख्य खगौल रोड बटाला से आदमपुर मुशहरी तक पथ बिहार ग्रामीण पथ पुनरीक्षण नीति,2018 के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्रीमती आशा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि...

अध्यक्ष : आशा जी, इसमें जानना, चाहने का कहां प्रश्न ? सूचना देना है तो दे दीजिए, देखेंगे, अभी तो वापस लेना होगा ।

श्रीमती आशा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि वहां के रोड की स्थिति यह है कि लोग वहां पर अपने से रोडा भराकर चल रहे है, रोड की इतनी जर्जर स्थिति है, अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसको वे जल्द-से-जल्द बनायें, इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-99,श्री अरूण कुमार सिन्हा

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वित्तीय वर्ष 2015-16 में पटना के कुम्हरार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत छः पार्कों का निर्माण शीघ्र शुरू करावे ।"

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा वर्ष 2015-16 में पार्कों के विकास, उन्नयन, रख-रखाव एवं प्रबंधन हेतु कोई 70 पार्कों को हस्तांतरित किया गया है । ट्रांसफर किये गये 70 पार्कों में से कुल 47 पार्क कुम्हरार विधान सभा क्षेत्र में हैं । इन 47 पार्कों में से उन 8 बड़े एवं मध्यम आकार के पार्कों का विकास कार्य पूर्ण हो चुका है । 10 पार्कों का विकास कार्य प्रगति पर है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा । बाकी बचे 29 छोटे पार्कों के विकास हेतु योजना शीघ्र समर्पित की जायेगी । तो अध्यक्ष महोदय, 70 में से 47 इन्हीं के क्षेत्र में है, इसलिए बाकी बचा हुआ जो पार्क है, वह क्रमवद्ध तरीके से लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : अब तो अरूण जी, आप बिना देरी किये अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-100 : श्रीमती गुलजार देवी

श्रीमती गुलजार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि -

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित भेजा लेंगरा चौक कोसी बाँध से झरबा जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में ग्राम भरगामा मस्तान घर के समीप कोसी नदी की छोटी धारा पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण हेतु चेकलिस्ट की माँग की गई है जो प्राप्त हो गया है । चेकलिस्ट की तकनीकी समीक्षा की जा रही है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती गुलजार देवी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–16/राजेश/20.2.19

क्रमांकः 101 श्रीमती अमिता भूषण

श्रीमती अमिता भूषणः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ किः

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिले के वीरपुर प्रखंड में पी0डब्लू0डी0 पथ पर्रा से लक्ष्मीपुर होते हुए सरौजा तक जाने वाली जर्जर सड़क का निर्माण जनहित में करावें ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः महोदय, अभिस्तावित पथ की लंबाई 1.95 किलोमीटर है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है । संवेदक द्वारा उक्त पथ के कार्य को पूर्ण नहीं किये जाने के कारण एकरारनामा को विखंडित कर संवेदक के अग्रधन की राशि को जप्त करते हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है । स्वीकृति उपरान्त निविदा की प्रक्रिया को पूरी कर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती अमिता भूषणः महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि लगभग 15 वर्षों से इसकी स्थिति बहुत ही जर्जर स्थिति में है, इसलिए इस काम को जल्द से जल्द कराने की कृपा करेंगे, इन्हीं बातों के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांकः 102 श्री अवधेश सिंह

श्री अवधेश सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर प्रखंड के वर्ष 2005 से वर्ष 2010 तक में विधायक मद की राशि से स्वीकृत योजनाएँ पूर्ण करावें ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः महोदय, माननीय स0वि0स0, हाजीपुर से अनुशंसित वर्ष 2005 से वर्ष 2010 तक की स्वीकृति एवं कार्यान्वित योजनाएँ में कुल छः योजनाओं में दायित्व की राशि अपर्याप्त रहने के कारण कार्य अपूर्ण है । प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्र संख्याः 1144 दिनांकः 20.11.17 एवं सरकार के विशेष सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार ,पटना के पत्रांक–339264 दिनांक 24.11.17 के आलोक में श्री नित्यानंद राय, माननीय स0वि0स0 से विधायक मद की राशि मो0 48 लाख 93 हजार 623 रुपये का कोषागार चालान सं0:113 दिनांक 9.1.18 से शीर्ष–4515 में जमा करा दिया गया है । उक्त मद में आवंटन प्राप्त होने पर लंबित योजनाओं को पूर्ण कराने

की कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य वापस लेते हैं ।

श्री अवधेश सिंहः महोदय, मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

अब कुछ संकल्प जिनका निष्पादन इसलिए नहीं हो पाया था कि संबंधित मंत्रीगण दूसरे सदन में थे, कुछ बचे हुए हैं उसमें क्रमांकः 5 श्री महबूब आलम । हम आप ही को पुकारने जा रहे थे और आप उतावले हो रहे थे । यह पढ़ा हुआ है । माननीय मंत्री शिक्षा विभाग ।

क्रमांकः 5 श्री महबूब आलम

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि वित्तरहित डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को मानदेय देने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नही है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री महबूब आलमः महोदय, ये लोग चालीस साल से सेवा करते आ रहे हैं.....

अध्यक्षः अब इसमें कोई लाग-लपेट नहीं है, जो इसे आप पूरक बना रहे हैं । आप अपने संकल्प को वापस ले लीजिये ।

श्री महबूब आलमः हम आग्रह करते है सरकार से .....

अध्यक्षः ठीक है । लेकिन पहले आप वापस ले लीजिये ।

श्री महबूब आलमः महोदय, मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 8 श्री मुजाहिद आलम

अध्यक्षः यह संकल्प भी पढ़ा हुआ है । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, किशनगंज जिले में 91 स्वीकृत चिकित्सा पदाधिकारी के पद के विरुद्ध 50 चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित हैं, जिसमें किशनगंज जिलान्तर्गत एक स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एक सर्जन पदस्थापित हैं जो सदर अस्पताल में कार्यरत है । वर्तमान में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अल्टा, कोचाधामन में एक महिला चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित एवं कार्यरत है लेकिन राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण सभी चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध कराये जाने में कठिनाई है तथापि इस दिशा में समुचित कार्रवाई की जा रही है । विभाग स्तर से विशेषज्ञ चिकित्सकों कुल 2325 पदों को भरने हेतु अधियाचना तकनीकि सेवा आयोग के

विचारार्थ सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जा चुकी है तथा सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों के 3902 पदों को भरने हेतु रोस्टर निर्धारण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, साथ ही एन0एच0एम0 के तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियोजित कर पदस्थापित करने की कार्रवाई भी की जा रही है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मोजाहिद आलमः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि कोचाधामन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डेली वहाँ पर 250 से 300 मरीज आते हैं, 8 हजार मरीज हर महीने .....

अध्यक्षः यह सब सूचना माननीय मंत्री जी को अलग से दे दीजियेगा ।

श्री मोजाहिद आलमः अध्यक्ष महोदय, अभी तत्काल किसी को प्रतिनियुक्ति किया जाय और मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 13 श्री कुमार सर्वजीत

अध्यक्षः यह संकल्प भी पढ़ा हुआ है । माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री जय कुमार सिंह, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत टनकुप्पा प्रखंड के टनकुप्पा रेलवे स्टेशन के उस पार आवागमन के कुल 7 पंचायतों के लगभग एक लाख की आबादी के लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है एवं रेलवे फाटक के उस पार जाने में कभी-कभी दुर्घटना का भी सामना लोगों को करना पड़ता है । टनकुप्पा रेलवे के उस पार आवागमन हेतु फ्लाई ओवर बनाने से कुल 7 पंचायतों के लगभग एक लाख की आबादी के लोगों को आवागमन की सुविधा के साथ ही सुरक्षा भी प्रदान होगी । अतएव टनकुप्पा रेलवे स्टेशन के उस पार आवागमन हेतु फ्लाई ओवर का निर्माण हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांकः 15 श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव

अध्यक्षः यह संकल्प भी पढ़ा हुआ है । माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि इस संकल्प में वर्णित स्थल नगर परिषद् हिलसा के नियंत्राधीन नहीं है । उक्त स्थल का हस्तांतरित करने का अनुरोध कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् हिलसा के पत्रांकः 97 दिनांक 12.2.2019 द्वारा अंचलाधिकारी, हिलसा से किया गया है । उक्त स्थल नगर निकाय को हस्तांतरित होने के पश्चात् टाउन हॉल के निर्माण के संबंध में नगर परिषद् हिलसा द्वारा अग्रत्तर कार्रवाई

की जायगी । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, वह जगह ऑलरेडी नगर परिषद् का है और पूर्व में भी इसतरह का सवाल हमारे द्वारा पूछे गये थे और सरकार ने उसपर सकारात्मक उत्तर देते हुए यह बताया था पूर्व नगर विकास मंत्री ने कि इसपर अग्रत्तर कार्रवाई की जा रही है लेकिन उस बावत अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है । हमने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सरकार से जानना चाहा कि जो खाली पड़ा भूखंड है और हिलसा अनुमंडल का जो आकार है, बिहार के कई जिलों के आकार से बड़ा है चाहे शेखपुरा हो, अरवल हो, लक्खीसराय हो, इसके आकार से बड़ा है, इसलिए एक भी टाउन हॉल नहीं है अध्यक्ष महोदय । इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि ऐसी परिस्थिति में सरकार सकारात्मक होकर आगे बढ़े, वैसे तो संकल्प को वापस लेना ही है तो हम अपने संकल्प को वापस लेता हूँ और सरकार से आग्रह भी करता हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 18 श्री मिथिलेश तिवारी

श्री मिथिलेश तिवारीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिले के मीरगंज से सिवान जिले के जामो बाजार होते हुए पुनः गोपालगंज के हरदिया मोड़-भगवानपुर-दिघवा-दुबौली-सत्तरघाट को जोड़ने वाली (60.82 कि0मी0) सड़क का निर्माण एस0एच0 के रुप में अतिशीघ्र करावें'' ।

श्री नंदकिशोर यादव, मंत्रीः महोदय, यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग का पथ है । वर्तमान में कोई भी स्टेट हाईवे बनाने का प्रस्ताव नहीं है, जो पुराना स्टेट हाईवे हमारा है, उसके निर्माण को हम प्राथमिकता दे रहे हैं । इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री मिथिलेश तिवारीः अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह आर0ई0ओ0 की सड़क है जबकि इसमें 21.5 किलोमीटर सड़क पथ निर्माण विभाग की है और सत्तरघाट पुल बन जाने के बाद मीरगंज से जिनको मुजफ्फरपुर जाना है, उनको यह सर्वाधिक सुगम रास्ता होगा । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करुंगा कि इसकी समीक्षा करा करके और भविष्य में जो एस0एच0 बनायेंगे तो उसमें इसको प्राथमिकता के आधार पर रखेंगे तो लोगों को सहुलियत होगा । इसलिए मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 21 श्री अब्दुल गफूर

अध्यक्षः यह संकल्प भी पढ़ा हुआ है । माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री जय कुमार सिंह, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आम यात्रियों को असुविधाओं को देखते हुए दानापुर जं0 से सहरसा जं0 तक रेल यात्री को सुविधा देने हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांकः 32 श्री नरेन्द्र नारायण यादव

अध्यक्षः यह भी पढ़ा हुआ है । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम पंचायत पैना अवस्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र चंदा के भवन में ही अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है । अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण की कार्रवाई कर दी जायगी ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादवः सधन्यवाद । मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–17/सत्येन्द्र/20–2–19

क्रमांक–40 श्री अशोक कुमार सिंह(क्षेत्र संख्या–203)

अध्यक्षः पढ़ा हुआ है, शिक्षा विभाग ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विश्वविद्यालय अथवा इसके नियंत्रणाधीन अंगीभूत महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर अथवा अन्य कोई पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 की धारा 4(1ए), 4(17)के तहत विश्वविद्यालय ही सक्षम प्राधिकार है । विश्वविद्यालय के प्रतिवेदनानुसार महाविद्यालयों से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न समितियों से अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अशोक कुमार सिंह : प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–49 श्री तारकिशोर प्रसाद

श्री तारकिशोर प्रसादः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार में उड्डयन के लिए अनुपयुक्त हवाई अड्डा मैदान को खेल स्टेडियम के रूप में परिवर्त्तित करते हुए आधारभूत संरचना का निर्माण करावे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, राज्य अवस्थित कटिहार जिलान्तर्गत कटिहार हवाई अड्डा मैदान के रनवे की लम्बाई 1500 फीट एवं चौड़ाई 300 फीट है जो फिक्स ऐयरविंग क्राफ्टस के लिए अपर्याप्त है । ऐसी स्थिति में विभाग कटिहार में हेलीपैड का निर्माण कराये जाने का विचार कर रहा है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री तारकिशोर प्रसादः मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–54 श्री उपेन्द्र पासवान

अध्यक्षः पढ़ा हुआ है । माननीय मंत्री,नगर विकास विभाग ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु बड़े आउट फॉल नाले का निर्माण कराया जा रहा है। अन्य छोटी छोटी नालियों का निर्माण मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण योजना के माध्यम से कराया जा रहा है । इस क्रम में चालू वित्तीय वर्ष में विभागीय राज्यादेश संख्या 64 दिनांक 27–9–18 द्वारा नगर पंचायत, बखरी में आउट फॉल नाला की योजना बखरी राईस मिल से चन्द्रभागा नदी तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । संकल्प में वर्णित योजना में सड़क के दोनों किनारे नाला का प्रावधान किया गया था । आम तौर पर सड़क के एक किनारे ही नाला का निर्माण कराया जाता है एवं आवश्यकतानुसार क्रॉस सेक्सन देकर दूसरे किनारे से जोड़ा जाता है फिर भी मुख्य बाजार के नाले का महत्व समझते हुए विभागीय आदेश संख्या 80 दिनांक 8–1–19 द्वारा योजना की उपयोगिता हेतु विभागीय अभियंता को स्थल जांच का आदेश दिया गया है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत योजना की स्वीकृति पर निर्णय लिया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री उपेन्द्र पासवानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाह रहा हूँ कि बखरी बाजार की सघन आबादी है और परसों भी हम क्षेत्र गये हुए थे वहां अम्बेदकर चौक के पास 50 मीटर की दूरी में जल जमाव है इसलिए मैं माननीय

मंत्री महोदय से आग्रह करना चाह रहा हूँ कि बरसात के पहले नाला का निर्माण हो जाना चाहिए और मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-56 श्री जनार्दन मांझी

अध्यक्ष: पढ़ा हुआ है । माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अमरपुर नगर पंचायत में चमसार पोखर के सौन्दर्यीकरण एवं सीढ़ी धाट निर्माण हेतु आंशिक संशोधन कर अनुसूचित दर पर नगर पंचायत, अमरपुर द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रह है । प्राक्कलन तैयार होने के पश्चात् स्वीकृति के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री जनार्दन मांझी: संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

अध्यक्ष: अब गैर सरकारी संकल्प समाप्त हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 20 फरवरी, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 22 है। अगर सदन की सहमति हो तो इसे संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

समापन भाषण

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, षोडश बिहार विधान सभा का द्वादश सत्र दिनांक 11 फरवरी, 2019 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 20 फरवरी, 2019 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-07 बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 11 फरवरी, 2019 को महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान मंडल के सह-समवेत बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों को विस्तारित भवन के नवनिर्मित सेन्ट्रल हॉल में संबोधित किया गया । माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सदन पटल पर रखी गयी । एकादश सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 02 (दो) विधेयकों का विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया ।

सभा सचिव द्वारा न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, पटना द्वारा विशेष वाद संख्या-145/2018 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री राजबल्लभ प्रसाद, स०वि०स०, क्षेत्र संख्या-237, नवादा के विरूद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के परिणामस्वरूप दिनांक 15.12.2018 के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित होने की सूचना से सदन को अवगत कराया गया ।

अभी तक कुल-14 (चौदह) जननायकों के निधन के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी घटना में शहीद सी.आर.पी.एफ. के जवानों के प्रति शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 12 फरवरी, 2019 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक को सदन में उपस्थापित किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक 12 फरवरी, 2019 को माननीय सदस्य, श्री मेवालाल चौधरी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी वाद-विवाद का उत्तर दिनांक 13 फरवरी, 2019 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया तत्पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 14 फरवरी, 2019 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित परिवहन विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगें गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया एवं वाद-विवाद के उपरान्त उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । फिर तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ।

इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन, पथ निर्माण विभाग, संसदीय कार्य विभाग एवं विधि विभाग द्वारा उनके विभाग के अन्तर्गत आने वाले निगमों एवं प्राधिकार के वार्षिक

प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये तथा संसदीय कार्य विभाग द्वारा नियमावली की प्रति भी सदन पटल पर रखे गये ।

प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा राजकीय संकल्प के दो प्रस्ताव यथा- (1) वर्ष 2021 की जनगणना जातीय आधार पर करने एवं (2) विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू की गयी विभागवार रोस्टर प्रणाली को समाप्त करते हुए पूर्ववत् विश्वविद्यालय स्तरीय रोस्टर के आधार पर नियुक्ति करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करने का प्रस्ताव सदन के द्वारा पारित किया गया । (क्रमशः)

टर्न-18/मधुप/20.2.2019

...क्रमशः...

दिनांक 20 फरवरी, 2019 को प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जॉच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3(4) के तहत् गठित न्यायिक जॉच आयोग का जॉच प्रतिवेदन तथा जॉच प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

1) बिहार विनियोग विधेयक, 2019
2) बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019
3) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक, 2019
4) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2019
5) इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019
6) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2019
7) बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति (निरसन) विधेयक, 2019
8) बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019
9) बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2019

सत्र के दौरान कुल-1192 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 971 प्रश्न स्वीकृत हुए। स्वीकृत प्रश्नों में 10 अल्पसूचित, 850 तारांकित एवं 111 प्रश्न अतारांकित थे । इन

प्रश्नों में 30 प्रश्न का उत्तर सदन में हुआ । शेष 941 प्रश्न अनागत हुए । इन अनागत प्रश्नों में से 523 प्रश्नों के उत्तर ऑन-लाईन माध्यम से प्राप्त हुए ।

इस सत्र में कुल-121 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 12 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 03 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये ।

इस सत्र मे कुल-235 निवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 228 स्वीकृत हुए एवं 07 अस्वीकृत हुए । कुल-138 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 96 स्वीकृत एवं 42 अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल-102 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं पर सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

इस सत्र में प्रश्नकाल का पटना दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाही की रिकॉर्डिंग भी की गयी । इससे जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया है, उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सदस्यगण, हर्ष एवं उल्लास का पर्व होली आसन्न है । इस अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों के साथ सम्पूर्ण बिहारवासियों को सदन की ओर से मैं शुभकामनाएँ देता हूँ । मेरी यह कामना है कि यह त्यौहार समस्त बिहार एवं देश के लोगों के जीवन में खुशहाली लाए ।

माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करूँ, इस सत्रावधि में कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके प्रति शोक प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है ।

शोक प्रकाश

स्वर्गीय विजय शंकर पाण्डेय

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री विजय शंकर पाण्डेय का निधन दिनांक 14 फरवरी, 2019 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 77 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय पाण्डेय रोहतास जिला के भभुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1990 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय गिरधारी राम

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री गिरधारी राम का निधन दिनांक 15 फरवरी, 2019 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 86 वर्ष की थी।

स्वर्गीय राम सिवान जिला के मैरवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1967 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे । वे गरीबों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करेंगे ।

(एक मिनट का मौन)

कृपया बैठ जायं । मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूँगा ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सभा की बैठक 5:48 बजे अपराह्न में स्थगित हुई)